



सत्यवती महाविद्यालय

(दिल्ली विश्वविद्यालय)

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद
(NAAC) द्वारा 'A+' ग्रेड मान्यता प्राप्त
अशोक विहार फेज-III, दिल्ली – 110052



प्रवेश विवरणिका शैक्षणिक सत्र - 2025-26

प्रो. पामेला सिंगला
अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति

प्रो. सुभाष कुमार सिंह
प्राचार्य

प्रो. अनुपम झा
कोषाध्यक्ष, प्रबन्ध समिति

अध्यक्ष का संदेश



प्रिय विद्यार्थियों,

सत्यवती महाविद्यालय में आप सभी का बड़े गर्व व सम्मान के साथ हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस प्रतिष्ठित संस्थान के अध्यक्ष के रूप में मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि संस्थान में शामिल होने का आपका निर्णय एक महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत है। मुझे विश्वास है कि आपकी यह यात्रा बौद्धिक विकास, व्यक्तिगत विकास और सार्थक संबंधों के समावेशी अवसरों को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। महाविद्यालय में हम एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो शैक्षणिक उत्कृष्टता, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करे। संस्थान में होने वाले विविध कार्यक्रम, अत्याधुनिक सुविधाएँ और समर्पित संकाय सदस्य आपकी शैक्षणिक आकांक्षाओं में आपकी सहायता करेंगे और आपको भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे।

महाविद्यालय परिसर में निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाने के साथ कई समितियों द्वारा अन्य गतिविधियों का आयोजन आपकी विविध रुचियों

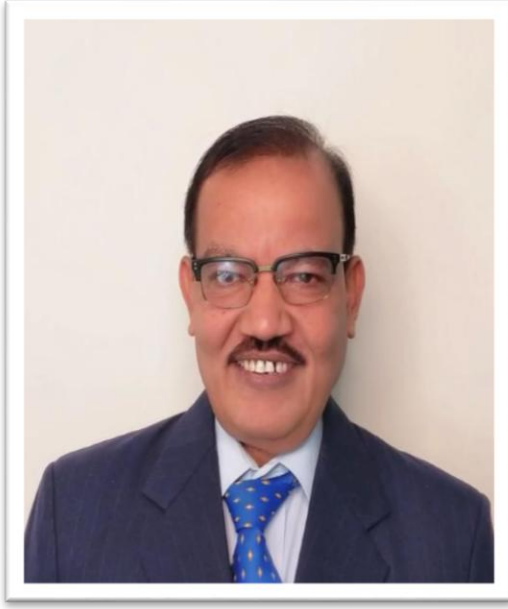
को पूरा करने व बहुमुखी विकास में मदद करेंगे। इन पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने से जहाँ आपके सीखने के अनुभव में वृद्धि होगी वहीं जीवन कौशल विकसित करने का अवसर मिलेगा।

हमारा संस्थान समावेशित और सम्मान की संस्कृति पर गर्व करता है। हम एक ऐसा सहयोगी और पोषणकारी वातावरण बनाने के लिए समर्पित हैं, जहाँ हर छात्र अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए मूल्यवान और सशक्त महसूस करे।

एक बार पुनः महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत के साथ ही उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और आने वाले वर्षों में आपकी प्रगति और उपलब्धियों को देखने के लिए उत्सुक हूँ।

प्रो. पामेला सिंगला
अध्यक्ष, प्रबंध समिति
सत्यवती महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

प्राचार्य का शुभकामना संदेश



यह अत्यंत गर्व और प्रसन्नता की बात है कि आप सत्यवती महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान से जुड़ रहे हैं। "तमसो मा ज्योतिर्गमय" (अंधकार से प्रकाश की ओर) इस दर्शन वाक्य से प्रेरित हमारा संस्थान विविधता, समावेशिता, उत्कृष्टता और उत्साह के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा 'A+' ग्रेड से मान्यता प्राप्त सत्यवती महाविद्यालय एक सर्वोत्कृष्ट उच्च शिक्षण संस्थान का अप्रतिम उदाहरण है, जो परिणामों और प्रभाव, शैक्षणिक स्वतंत्रता और उच्चतम नैतिक मानकों पर केंद्रित है। महाविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को प्रभावी ढंग से अपनाया है, और स्नातक पाठ्यक्रम प्रणाली (UGCFC) 2022 के अनुरूप अनुशासन विशिष्ट पाठ्यक्रम (DSC), अनुशासन विशिष्ट ऐच्छिक (DSE), सामान्य ऐच्छिक (GE), क्षमता वृद्धि पाठ्यक्रम (AEC), कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम (SEC) और मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम (VAC) जैसे पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

महाविद्यालय की सतत कार्यशील छात्र समितियाँ जैसे वाद-विवाद, नाटक, कला, संस्कृति और फोटोग्राफी छात्रों को सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेने और सर्वांगीण

विकास का अवसर देती हैं।

हमारे समर्पित संकाय सदस्य न केवल शिक्षण में अपितु शोध और डॉक्टोरल गाइडेंस में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सत्यवती महाविद्यालय एक आधुनिक और पर्यावरण-हितैषी परिसर है, जिसमें डिजिटली सुसज्जित, वातानुकूलित पुस्तकालय एवं दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए विशेष सुविधाएँ शामिल हैं। परिसर में वर्षा जल संचयन, औषधीय उद्यान और स्वच्छ सत्यवती, हरित सत्यवती का संकल्प भी साकार किया गया है।

यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मैं इस प्रतिष्ठित संस्थान का नेतृत्व कर रहा हूँ। मैं सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। हमारा मानना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए आवश्यक समर्थन, प्रोत्साहन और अवसर मिलने चाहिए।

आप हमारे शिक्षण संस्थान का हिस्सा बन रहे हैं, इसके लिए हम एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि सत्यवती महाविद्यालय में आपकी शैक्षणिक यात्रा आपके उज्ज्वल भविष्य की सुदृढ़ नींव स्थापित करेगी।

आपका शुभचिंतक,
प्रो. सुभाष कुमार सिंह
प्राचार्य, सत्यवती महाविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय

विषय-सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सत्यवती महाविद्यालय: परिचय	1
2.	आधारभूत संरचना	2-6
3.	प्रवेश हेतु प्रक्रिया	7-13
4.	प्रवेश एवं अन्य समितियाँ	14-18
5.	स्नातक प्रवेश के लिए पात्रता अर्हताएं	19-20
6.	प्रवेश की कुल स्वीकृत संख्या	21-22
7.	प्रस्तावित पाठ्यक्रम	23-30
8.	प्रशासनिक विभाग	31-32
9.	समितियाँ / समिति	33-39
10.	छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार	40-41
11.	महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी	42-44
12.	खेल, पाठ्येतर गतिविधियाँ (ECA) और वार्ड कोटा प्रवेश	45
13.	अनुशासन और उपस्थिति नियम	46
14.	परीक्षा सम्बन्धी नियम	47
15.	प्रवेश शुल्क विवरण (स्नातक/परास्नातक) 2025-26	48-49
16.	महाविद्यालय की प्रस्तुति	50-64
17.	प्रपत्र (Forms)	65-68



सत्यवती महाविद्यालय : परिचय



सत्यवती महाविद्यालय दिल्ली के अशोक विहार में स्थित है और इसका विशाल परिसर दस एकड़ क्षेत्र में फैला है। यह एक सह-शिक्षा संस्थान है और सभी सामाजिक स्तर के विद्यार्थियों को आकर्षित करता है। इसमें ग्यारह विभाग और विविध पाठ्यक्रम हैं। हमारे विद्यार्थियों ने मेधावी शैक्षणिक विशिष्टताओं के साथ पाठ्येतर गतिविधियों में भी अनुकरणीय उपलब्धियां हासिल की हैं। महाविद्यालय विविध सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए एक समावेशी वातावरण बनाए रखता है और उन्हें एक-दूसरे के साथ विचार-विनिमय करने के लिए अपेक्षित रचनात्मक वातावरण प्रदान करता है।

सत्यवती महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय का एक संबद्ध महाविद्यालय है। यह 1972 में महान स्वतंत्रता सेनानी सत्यवती देवी (1904-1945) की स्मृति को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया था। वह स्वामी श्रद्धानंद की पोती थीं जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनकी अदम्य भावना की कल्पना जेल में लिखी गई उनकी कविताओं से की जा सकती है। "एक बार आगे बढ़ गए हो तो कभी पीछे मत हटो युद्ध के मैदान में पुरुषों के सामने मरो गोलियों या लाठियों से मत डरो पुरुषों के सामने अपना सिर आगे रखो।" इस निडरता ने अरुणा आसिफ अली सहित असंख्य महिलाओं को राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सत्यवती देवी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।

उन्होंने महिला मण्डल का नेतृत्व किया और दिल्ली में नमक कानून तोड़ने का आयोजन किया। जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर नमक के पैकेट बनाए और वितरित किए। राष्ट्रीय मुक्ति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए उनका समर्पण विस्मयकारी है। स्वतंत्रता संग्राम के समय उनके भाषण और अवज्ञा के कार्य महाविद्यालय की भावना को मूर्त रूप देते हैं।



आधारभूत संरचना

डॉ. के. पी. भट्ट सत्य सभागार

महाविद्यालय के सभागार का नाम प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी बहन सत्यवती और डॉ. के. पी. भट्ट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 25 वर्षों तक महाविद्यालय की प्राचार्य के रूप में कार्यभार संभाला और महाविद्यालय के लिए एक सभागार के सपने को साकार किया। यह न केवल महाविद्यालय में, बल्कि विश्वविद्यालय में भी गौरव का स्थान रखता है, क्योंकि यह अत्याधुनिक सभागार है जिसमें 825 लोगों के बैठने की क्षमता है और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली प्रकाश और ध्वनिकी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यह छात्रों की रचनात्मक प्रतिभाओं की अभिव्यक्ति के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करता है और व्याख्यान, वाद-विवाद, नृत्य, रंगमंच और छात्र उत्सवों जैसी गतिविधियों से हमेशा गुलजार रहता है।



संगोष्ठी कक्ष

ध्वनि और दृश्य तकनीक से सुसज्जित एक पूर्णतः वातानुकूलित संगोष्ठी कक्ष, महाविद्यालय की अमूल्य संपत्तियों में से एक है। यहाँ नियमित रूप से वाद-विवाद, चर्चाएँ, व्याख्यान और फिल्म प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।



जलापर्नगृह (कैंटीन)

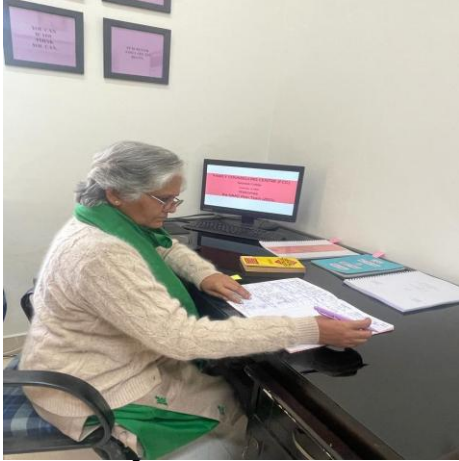
महाविद्यालय जलपान गृह मुख्य द्वार/प्रवेश द्वार के पास है। यह विद्यार्थियों को तनाव मुक्त होकर शांत वातावरण में बैठकर जलपान ग्रहण का स्थान है। कैंटीन महाविद्यालय सम्बंधित सभी लोगों के लिए सस्ती कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन और पेय पदार्थ प्रदान करते हैं।





परिवार परामर्श केंद्र (FCC)

यह केंद्र लिंग-जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से वर्ष भर गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला आयोजित करता है। यह सभी विद्यार्थियों को परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है।



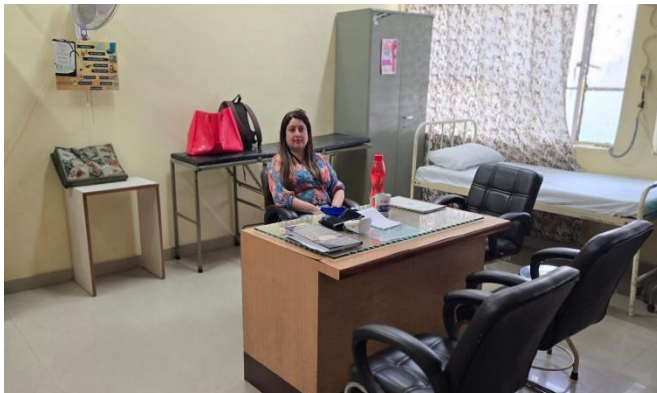
कंप्यूटर प्रयोगशाला

सत्यवती महाविद्यालय परिसर वाई-फाई सुविधाओं से युक्त है। कोई भी विद्यार्थी सर्वर रूम (server room) से उपयोगकर्ता अपना नाम (user id) और पासवर्ड (password) प्राप्त करके परिसर में कहीं से भी अपने लैपटॉप/मोबाइल पर इंटरनेट का उपयोग कर सकता है। लगभग 100 पोर्ट के साथ दो अच्छी तरह से सुसज्जित कंप्यूटर प्रयोगशालाएं हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के पढ़ने की सुविधा के लिए जावा-स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर भी उपलब्ध हैं।



चिकित्सा सुविधा कक्ष

महाविद्यालय परिसर के कमरा नंबर-19 (Old Building) में स्थित आधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त एक चिकित्सा सुविधा कक्ष है, जिसमें नर्स और डॉक्टर विद्यमान रहते हैं। विद्यार्थी किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक आगंतुक (विजीटिंग) डॉक्टर से परामर्श कर चिकित्सा लाभ ले सकते हैं।





स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय

यह पुस्तकालय अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से संपृक्त है - जैसे वातानुकूलित व्यवस्था, कंप्यूटर, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलाग (OPAC), किबो सॉफ्टवेयर (दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु) एवं हाईस्पीड इंटरनेट सुविधा से संपृक्त है। महाविद्यालय के पुस्तकालय में लगभग एक लाख पुस्तकों का संग्रह है, जिसमें प्रत्येक वर्ष नये संकलनों वाले पाठ्य सामग्रियों को शामिल किया जाता है। पुस्तकालय में पुस्तकों के अतिरिक्त विश्वकोशों, शोध-पत्र व पत्रिकाओं के साथ विविध समाचार पत्र, प्रतियोगी परीक्षा से सम्बंधित सामग्री का संग्रह है। इस पुस्तकालय में वातानुकूलित डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर वाचनालय अध्ययन कक्ष है। इसके साथ ही शिक्षकों के अध्ययन हेतु डॉ. राधाकृष्णन कक्ष है। दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार महर्षि वाल्मिकी कक्ष विशेष सुविधा से पूरित है। पुस्तकालय सभी कर्मचारी सौहार्दपूर्ण, मिलनसार और विद्यार्थियों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।



पर्यावरण शैक्षणिक एवं अनुसंधान केंद्र



पर्यावरण शैक्षणिक एवं अनुसंधान केंद्र पूर्ण रूप से आधुनिक काल की मांगों के अनुकूल कुशल प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित है। केंद्र में आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर रखे गए हैं जो प्रस्तुति को अधिक स्पष्ट और सत्रों को अधिक आकर्षक बनाते हैं। सटीक और विश्वसनीय वैज्ञानिक डेटा को पाने के लिए इस केंद्र को आधुनिक तकनीकी और सुविधाओं से युक्त रखा गया है ताकि विद्यार्थियों में पर्यावरणीय मुद्दे एवं जागरूकता के प्रति ध्यान आकर्षित हो सके। सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित नवीनतम उपकरणों के उचित उपयोग के साथ, विद्यार्थी प्राकृतिक दुनिया की पर्यावरणीय समस्याओं जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, संसाधन क्षरण, जैव विविधता की हानि आदि के लिए प्रयोगशाला से अनुभव कर सकते हैं और पृथ्वी के संरक्षण की भावना विकसित कर सकते हैं।



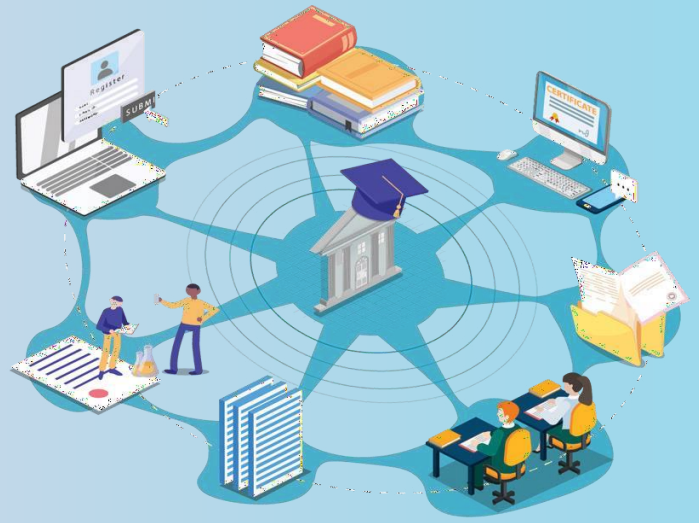
खेल परिसर

सत्यवती महाविद्यालय का खेल परिसर दिल्ली विश्वविद्यालय की सर्वश्रेष्ठ खेल सुविधाओं में से एक है। शारीरिक शिक्षा विभाग विभिन्न खेल गतिविधियों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है। महाविद्यालय में एक दो मंजिला खेल परिसर है। एक अच्छी तरह से रखी गई क्रिकेट पिच के साथ एक हरा-भरा खेल मैदान क्रिकेटर्स के लिए आनंददायक है। संदीप सूरी मेमोरियल क्रिकेट खेल-प्रतियोगिता एक वार्षिक उत्सव है जिसमें दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र की टीमों व्यापक रूप से भाग लेती हैं। भट्ट मेमोरियल वॉलीबॉल खेल-प्रतियोगिता, बहन सत्यवती मेमोरियल कबड्डी और खो-खो खेल-प्रतियोगिता, पराक्रम (महिला सशक्तिकरण: आत्मरक्षा, मणिकर्णिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता, रैपिड शतरंज टीम खेल-प्रतियोगिता) जैसे कई नए खेल-प्रतियोगिता हाल ही में स्थापित किए गए हैं। हमारे विद्यार्थियों ने कई अंतर-महाविद्यालय, अंतर-विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजन जीतकर महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। महाविद्यालय दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भी एक आदर्श खेल वातावरण प्रदान करता है। इनमें से कुछ छात्रों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक भी जीते हैं।





प्रवेश प्रक्रिया



सभी स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट, अंडर-ग्रेजुएट बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन - 2025 (यूजी-बीओआई) और कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम-2025 (सीएसएसएस) पर निर्दिष्ट पात्रता आवश्यकताओं, मानदंडों और प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाता है।

स्नातक स्तर पर पेश किए गए प्रत्येक कार्यक्रम के लिए पात्रता मानदंड यूजी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन-2025 (यूजी बीओआई-2025) (विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट (admission.uod.ac.in) में प्रकाशित किए गए हैं। उम्मीदवारों को UG BOI-2025 और प्रवेश वेबसाइट से पात्रता मानदंड को ध्यान से देखना चाहिए। विश्वविद्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट, यूजी बीओआई 2025 और सीएसएसएस-2025 के माध्यम से निर्धारित मानदंडों के अलावा कोई अतिरिक्त पात्रता मानदंड नहीं हैं, जो यूओडी की प्रवेश वेबसाइट पर प्रकाशित हैं।

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए, यूओडी के सभी यूजी कार्यक्रमों में प्रवेश कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट- अंडर-ग्रेजुएट 2025 (CUET (UG) - 2025) के आधार पर किया जाएगा।

1. CUET (UG) - 2025 का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा किया जाता है। उम्मीदवार ध्यान दें कि एनटीए की भूमिका CUET (UG) - 2025 के आयोजन, परिणामों की घोषणा और प्रवेश परीक्षा से संबंधित प्रश्नों के समाधान तक सीमित है। केवल CUET (UG) - 2025 में उपस्थित होना यूओडी में सीट सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त शर्त नहीं होगी। यूओडी यूजी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए, एक उम्मीदवार को सीएसएसएस-2025 में आवेदन करना होगा।

2. आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले, उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे यूजी बीओआई-2025 और सीएसएसएस-2025 की सामग्री को ध्यान से पढ़ें और दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922, इसके संशोधनों और विधियों से परामर्श करें। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध यूओडी के अध्यादेश, नियम, विनियम और अधिसूचनाएं, www.du.ac.in अंतिम और बाध्यकारी होंगी।



3. यूओडी में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सामान्य न्यूनतम पात्रता मानदंड और कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड के लिए UG BoI-2025 का उल्लेख करना चाहिए। (http://du.ac.in/uploads/new-eb/21042025_BOI-UG.पीडीएफ)
4. उम्मीदवार को कार्यक्रमों का चयन करने से पहले यूओडी की प्रवेश वेबसाइट पर प्रकाशित कार्यक्रमों, कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड, सीट मैट्रिक्स, शुल्क संरचना और अन्य प्रासंगिक जानकारी की सूची का उल्लेख करना चाहिए। यूओडी में प्रवेश के लिए पात्रता का निर्धारण और दस्तावेजों का सत्यापन यूओडी का एकमात्र अधिकार क्षेत्र होगा।
5. केवल वही उम्मीदवार जो CUET (UG) - 2025 में उपस्थित हुए हैं और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा XIIवीं उत्तीर्ण कर चुके हैं, CSAS-2025 के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
6. उम्मीदवार को यूओडी की प्रवेश वेबसाइट (<https://admission.uod.ac.in>) के माध्यम से यूओडी के सीएसएस-2025 में ऑनलाइन आवेदन करना और प्राथमिकताएं भरना अनिवार्य है। किसी भी अन्य मोड के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. सभी यूजी कार्यक्रमों के लिए सीट आवंटन पूरी तरह से CUET (UG) - 2025 में प्राप्त अंकों पर आधारित होगा।
8. प्रदर्शन-आधारित कार्यक्रमों, ईसीए और खेल अधिसंख्य कोटा में सीट आवंटन के लिए, CUET (UG) - 2025 के संयुक्त स्कोर और प्रदर्शन परीक्षण / परीक्षण और / या प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा।
9. प्रवेश वेबसाइट पर प्रकाशित सीएसएस-2025 मेरिट सूचियों का पालन यूओडी के सभी महाविद्यालयों द्वारा किया जाएगा।
10. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश से संबंधित सभी संचार और अपडेट के लिए अपने डैशबोर्ड, ईमेल और प्रवेश वेबसाइट (www.admission.uod.ac.in) नियमित रूप से अवलोकन करते रहे।
11. महाविद्यालय/यूओडी प्रवेश दिशानिर्देशों, अनुसूची, पात्रता मानदंड और सीएसएस- 2025 नियमों के बारे में जागरूकता की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। नियमित रूप से यूओडी के डैशबोर्ड, ईमेल और प्रवेश वेबसाइट की जांच करना उम्मीदवार की स्वयं की जिम्मेदारी है।
12. प्रवेश के लिए आवश्यकताओं का अनुपालन न करना, जिसमें प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना शामिल है या निर्धारित तिथि और समय के भीतर शुल्क का भुगतान न करना, उम्मीदवार प्रवेश के अधिकार से वंचित रह जायेगा।
13. उम्मीदवार को विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा अधिसूचित किए जाने पर मूल दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
14. किसी भी आरक्षित श्रेणी (PwBD, CW और KM सहित) के तहत आरक्षण का दावा करने के लिए अपनी पात्रता साबित करना उम्मीदवार की स्वयं जिम्मेदारी है। एससी / एसटी / ओबीसी एनसीएल / ईडब्ल्यूएस / अल्पसंख्यक / सीडब्ल्यू / पीडब्ल्यू बीडी / केएम श्रेणियों के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी संबंधित आरक्षित श्रेणी / उप-श्रेणी के प्रमाण पत्र / दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होगी।
15. यदि किसी भी स्तर पर, प्रवेश से संबंधित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नकली/गैर-वास्तविक और/या मनगढ़ंत या किसी अन्य तरीके से दोषपूर्ण पाए जाते हैं, तो उक्त उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और यदि पहले ही भर्ती कर लिया गया है, तो इस संबंध में बिना किसी पूर्व सूचना के प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। यदि पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद यह पाया जाता है, तो उसकी डिग्री रद्द कर दी जाएगी और उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
16. प्रवेश प्रक्रिया में एक उम्मीदवार की भागीदारी अनंतिम होगी। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि पात्रता संबंधी अपेक्षाएं पूरी नहीं की जाती हैं तो दाखिला प्रदान किए जाने पर उसे वास्तविक रूप से रद्द कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवार के विरुद्ध समुचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
17. विश्वविद्यालय या महाविद्यालय किसी भी उम्मीदवार को बाद के चरण में अयोग्य पाए जाने पर प्रवेश शुल्क वापस नहीं करेगा।
18. विश्वविद्यालय या महाविद्यालय यूओडी द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी उम्मीदवार के प्रवेश को रद्द करने का अधिकार रखता है।
19. कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम 2025 को तीन चरणों में विभाजित किया गया है:
 - चरण 1: दिल्ली विश्वविद्यालय में आवेदन करना
 - चरण 2: पाठ्यक्रमों और महाविद्यालयों के लिए प्राथमिकता भरना
 - चरण 3: आवंटन-सह-प्रवेश

यूओडी में प्रवेश के लिए, उम्मीदवार को निर्धारित समय के भीतर सीएसएस के सभी तीन चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।

सीट आवंटन और प्रवेश

आवंटन (Allocation) परिणाम घोषित होने पर, अभ्यर्थी को आवंटित सीट (यदि प्रस्तावित हो) को स्वीकार करने के लिए अपने CSAS(UG)-2025 डैशबोर्ड पर लॉग इन करना होगा।

यह अभ्यर्थी की ज़िम्मेदारी है कि वह डैशबोर्ड पर लॉग इन करे और जाँच करे कि सीट आवंटन के किसी निश्चित दौर में कोई सीट आवंटित हुई है या नहीं, और यदि आवंटित हुई है, तो उसे सभी प्रवेश औपचारिकताएँ पूरी करनी होंगी।

एक बार किसी राउंड में सीट आवंटित हो जाने के बाद, उम्मीदवार को दिए गए आवंटन दौर के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि / समय से पहले आवंटित सीट को 'स्वीकार' करना होगा। किसी विशेष आवंटित सीट की स्वीकृति का प्रावधान केवल उस दौर के लिए मान्य होगा जिसमें उम्मीदवार को सीट आवंटित की गई थी।

किसी उम्मीदवार को किसी विशेष दौर में कई आवंटित सीटों के विकल्प में से केवल एक विकल्प को चयन करना होगा।

निष्क्रियता/ कोई कार्यवाही न करने को आवंटित सीट की गैर स्वीकृति के रूप में माना जाएगा। इसे अनंतिम रूप से आवंटित सीट में गिरावट के रूप में माना जाएगा और उम्मीदवार अब CSAS-2025 के बाद के दौर में भाग नहीं ले पाएंगे।

महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन अनुमोदन

एक बार जब उम्मीदवार अनंतिम रूप से आवंटित सीट को "स्वीकार" कर लेता है, तो संबंधित महाविद्यालय उम्मीदवार द्वारा अपलोड की गई पात्रता और दस्तावेजों की जांच करेगा। महाविद्यालय निर्धारित समय सीमा के भीतर निम्नलिखित को सत्यापित करेगा:

1. उम्मीदवार की न्यूनतम पात्रता।
2. उम्मीदवार की पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता।
3. विषय मानचित्रण: केवल उन्हीं CUET(UG)-2025 भाषा और/या डोमेन विशिष्ट पेपरों पर विचार किया जाएगा जिनमें उम्मीदवार ने बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।
4. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों की वैधता और प्रामाणिकता।

ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई महाविद्यालय उम्मीदवार से अधिक स्पष्टता / जानकारी चाहता है, तो वह उम्मीदवार से पूछ सकता है। सत्यापन के बाद, महाविद्यालय या तो उम्मीदवार की अनंतिम रूप से आवंटित सीट को 'स्वीकृत' या 'अस्वीकार' करेगा। महाविद्यालयों द्वारा कोई भी आवेदन को अनदेखा नहीं किया जाएगा।

अनुमोदन के मामले में

एक बार महाविद्यालय मंजूरी दे देता है, तो उम्मीदवार को 'प्रवेश शुल्क' का भुगतान करना होगा।

अस्वीकृति के मामले में

एक आवेदन को अस्वीकार करने के लिए महाविद्यालय निम्नलिखित कारणों में से किसी एक को इंगित करेगा:

1. उम्मीदवार द्वारा न्यूनतम पात्रता की पूर्ति न करना।
2. उम्मीदवार द्वारा पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता की पूर्ति न करना।
3. विषय-मानचित्रण मानदंडों की पूर्ति न होना।
4. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत अमान्य दस्तावेज / प्रमाण पत्र।
5. निर्धारित समय के भीतर महाविद्यालय द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देने में विफलता।

महाविद्यालय अनुमोदन के दौरान प्रश्नों (यदि कोई हो) का उत्तर दें।

ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान, यदि महाविद्यालय कोई प्रश्न उठाता है तो उम्मीदवार को निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन (उम्मीदवार के डैशबोर्ड के माध्यम से) जवाब देना होगा। प्रश्न (प्रश्नों) का जवाब देने में विफलता आवंटित सीट की अस्वीकृति का कारण बनेगी और उम्मीदवार सीएसएस-2025 से बाहर हो जाएगा।

अनंतिम रूप से आवंटित सीट पर प्रवेश

महाविद्यालय की स्वीकृति के बाद, उम्मीदवार को अनुमोदित सीट के लिए प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा। प्रवेश शुल्क



आवंटन के बाद के दौर

के सफल भुगतान के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया को पूरा माना जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर प्रवेश शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है, तो इसे अनंतिम रूप से आवंटित सीट को रद्द माना जाएगा। आवंटित सीट जब्त कर ली जाएगी और उम्मीदवार को बाद के किसी भी CSAS-2025 आवंटन राउंड के लिए विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार से आवंटित सीट के सभी अधिकारों को जब्त कर लिया जायेगा और बाद के किसी भी सीएसएस-2025 आवंटन राउंड के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

अस्वीकृति, रद्दीकरण और निकासी के कारण उत्पन्न होने वाली सीटों की उपलब्धता के आधार पर, विश्वविद्यालय एकाधिक आवंटन राउंड की घोषणा कर सकता है। यूओडी प्रत्येक आवंटन राउंड से पहले अपनी प्रवेश वेबसाइट (admission.uod.ac.in) पर रिक्त सीटों को प्रदर्शित करेगा।



- सीएसएस-2025 के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवार सभी आवंटन राउंड के लिए पात्र होंगे।
- सभी प्रवेशित उम्मीदवार जो किसी विशेष दौर में "अपग्रेड" विकल्प चुनते हैं, उन्हें सीटों की उपलब्धता के अधीन संबंधित सीएसएस-2025 आवंटन दौर के लिए विचार किया जाएगा।
- जिन उम्मीदवारों को किसी भी राउंड में उनकी पहली वरीयता आवंटित की गई थी, उन्हें आवंटन के बाद के दौर में विचार नहीं किया जाएगा।



अपग्रेड या फ्रीज करें

अपग्रेड (उन्नत करना)

सभी प्रवेशित अभ्यर्थियों को "अपग्रेड" या "फ्रीज" का विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। एक प्रवेशित उम्मीदवार 'अपग्रेड' विकल्प का चयन कर सकता है, जो उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत उच्च वरीयता में अपग्रेड की अनुमति देगा। भर्ती उम्मीदवार जो उन्नयन का विकल्प चुनते हैं, उन्हें आवंटन नीति के आधार पर स्वचालित रूप से अपग्रेड किया जाएगा।

'अपग्रेड' विकल्प चुनने का मतलब यह होगा कि उम्मीदवार बाद के दौर (यदि कोई हो) में अपनी उच्च वरीयता के कार्यक्रम + महाविद्यालय संयोजन में प्रवेश के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सहमति देता है। उसकी वर्तमान प्रवेशित सीट स्वतः रद्द कर दिया जाएगा।

एक उम्मीदवार जो 'अपग्रेड' का विकल्प चुनता है, वह प्रोग्राम + महाविद्यालय संयोजनों को भी पुनः व्यवस्थित कर सकता है जो आवंटित एक की तुलना में वरीयता में अधिक थे।

कार्यक्रम + महाविद्यालय संयोजन जिसमें उसने पहले प्रवेश लिया था, किसी भी बाद के दौर में उम्मीदवार को कभी भी पेश नहीं किया जाएगा। इसी तरह, कार्यक्रम + महाविद्यालय संयोजन जो वरीयता क्रम में नीचे थे, जिस पर उम्मीदवार ने पहले प्रवेश लिया था, किसी भी बाद के दौर में उम्मीदवार को फिर से पेश नहीं किया जाएगा।

अपग्रेड विकल्प उस उम्मीदवार के लिए उपलब्ध नहीं होगा जिसे उसकी पहली वरीयता आवंटित की गई थी।

यह उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी कि वह सीट आवंटन के सभी दौरों में 'अपग्रेड' विकल्पों की जांच करते रहे। उन्नयन प्रक्रिया में भाग लेने में विफलता / अक्षमता को किसी भी परिस्थिति में शिकायत नहीं माना जाएगा।

अपग्रेड का चयन करने का अर्थ अगले/किसी भी बाद के आवंटन दौर में सीट की गारंटी नहीं है।

अपग्रेडेशन निम्नलिखित के अधीन है:

क. पाठ्यक्रम-विशिष्ट योग्यता

ख. वरीयता क्रम

ग. सीटों की उपलब्धता

फ्रीज करना

एक उम्मीदवार जिसने आवंटित सीट पर प्रवेश लिया है और इसे जारी रखने की इच्छा रखता है, उसे अपने डैशबोर्ड के माध्यम से 'फ्रीज' अनुरोध प्रस्तुत करना चाहिए। 'फ्रीज' का चयन करने पर, ऐसे उम्मीदवार को कभी भी "अपग्रेडेशन" का विकल्प चुनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यदि कोई प्रवेशित उम्मीदवार न तो अपग्रेडेशन का विकल्प चुनता है और न ही फ्रीज का विकल्प चुनता है, और एक राउंड के लिए निष्क्रिय रहता है, तो उसके द्वारा लिया गया प्रवेश बरकरार रखा जाएगा और उसे अपग्रेड के लिए विचार नहीं किया जाएगा।



अनंतिम(प्रोविजनल) रूप से आवंटित सीट/प्रवेश को रद्द करना

1. निर्धारित समय सीमा के भीतर अनंतिम रूप से आवंटित सीट को 'स्वीकार' करने में विफलता से आवंटित सीट रद्द हो जाएगी।
2. यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर प्रवेश शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है तो अनंतिम रूप से आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी।
3. प्रश्नों का उत्तर न देने पर (यदि उम्मीदवार के डैशबोर्ड पर उठाए गए हों) आवंटित सीट रद्द की जा सकती है।
4. अनंतिम रूप से आवंटित सीट / प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा, यदि किसी भी समय, कोई भी दस्तावेज / प्रमाण पत्र अवैध/धोखाधड़ीपूर्ण पाया जाता है।
5. प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा, यदि किसी भी समय, यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार यूओडी द्वारा घोषित न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

एक उम्मीदवार जिसकी अनंतिम रूप से आवंटित सीट/प्रवेश उपर्युक्त कारणों से रद्द कर दिया गया है, वह सीएसएस-2025 के माध्यम से यूओडी में प्रवेश लेने का अधिकार खो देगा।



उम्मीदवार द्वारा प्रवेश वापस लेना

एक उम्मीदवार जिसने प्रवेश लिया है, लेकिन वापस लेना चाहता है, वह अपने डैशबोर्ड के माध्यम से 'निकासी' विकल्प का चयन करके और 1000.00 रुपये (गैर-वापसी योग्य) के निकासी शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकता है।

एक उम्मीदवार जो अपना प्रवेश वापस लेता है, वह सीएसएस-2025 से बाहर हो जाएगा। वह यूओडी के यूजी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपनी पात्रता खो देगा। उसके बाद में से किसी में भी कोई और भागीदारी नहीं होगी। यूजी प्रोग्राम के लिए पूरी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए प्रवेश वापसी के लिए पोस्ट/फैक्स/ईमेल/व्हाट्सएप/हाथ से भेजे गए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।



स्पोर्ट एडमिशन राउंड घोषित होने के बाद प्रवेश वापस लेने का कोई विकल्प नहीं होगा।

नोट: उम्मीदवार को केवल तभी प्रवेश वापस लेना चाहिए जब वह दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ जारी नहीं रहने के बारे में सुनिश्चित हो।



मध्य-प्रवेश

मध्य-प्रवेश प्रक्रिया के दौरान, वे उम्मीदवार जो निर्धारित समय (चरण I के दौरान) के भीतर CSAS(UG)-2025 के लिए आवेदन करने में असफल रहे या चरण II पूरा नहीं कर सके, और CSAS(UG)-2025 में भाग लेने के इच्छुक हैं, वे (विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किए जाने पर) भाग ले सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार 1000.00 रुपये (वापसी योग्य नहीं) का मध्य-प्रवेश शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं।

मध्य-प्रवेश पर केवल CSAS(UG)-2025 पोर्टल के माध्यम से मध्य-प्रवेश शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान के बाद ही विचार किया जाएगा। जो उम्मीदवार CSAS(UG)-2025 के लिए बीच में ही आवेदन कर देता है, उसे प्रारंभिक चरण के दौरान CSAS(UG)-2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवंटित सीटों पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसे उम्मीदवारों को सीटों के आवंटन पर, पात्रता मानदंडों की पूर्ति, सीटों की उपलब्धता और CSAS(UG)-2025 के अन्य नियमों के अधीन, बाद के राउंड (यदि कोई हो) के लिए विचार किया जा सकता है।

CSAS(UG)-2025 के लिए बीच में आवेदन करने वाले उम्मीदवार को सीट आवंटित होने के बाद, उसे आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। आवंटित सीट स्वीकार न करने पर, उम्मीदवार का UoD में प्रवेश लेने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। केवल मध्य-प्रवेश के माध्यम से आवेदन करने से CSAS(UG)-2025 के माध्यम से सीट के आवंटन की गारंटी नहीं मिलती है। ECA, स्पोर्ट्स, CW सुपरन्यूमेरी कोटा; प्रदर्शन-आधारित कार्यक्रम (अर्थात्, B.A.(H) संगीत, B.Sc. (PE, HE & S)) और प्रैक्टिकल-आधारित पाठ्यक्रम (अर्थात् BFA) के लिए मध्य प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।



स्पोर्ट प्रवेश

नियमित सीएसएस-2025 राउंड के पूरा होने के बाद, यदि सीटें खाली रहती हैं, तो महाविद्यालय यूओडी प्रवेश के स्पोर्ट राउंड की घोषणा कर सकता है।

जिन उम्मीदवारों ने CSAS-2025 के लिए आवेदन किया था, लेकिन स्पोर्ट एडमिशन राउंड की घोषणा की तारीख को किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया गया है वे स्पोर्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं।

स्पोर्ट एडमिशन की घोषणा होने पर पहले से चल रहे सभी अभ्यर्थियों का प्रवेश बन्द हो जाएगा और उन्हें अपग्रेड के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसी तरह, प्रवेशित उम्मीदवारों को अपने प्रवेश वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्पोर्ट एडमिशन राउंड में विचार करने के लिए, उम्मीदवार को अपने डैशबोर्ड के माध्यम से 'स्पोर्ट एडमिशन' का विकल्प चुनना होगा।

प्रत्येक स्पोर्ट प्रवेश दौर के लिए विश्वविद्यालय प्रत्येक पाठ्यक्रम की खाली सीटों को प्रदर्शित करेगा। एक इच्छुक उम्मीदवार केवल एक कार्यक्रम का चयन करने में सक्षम होगा।

स्पोर्ट प्रवेश में, आवंटन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा:

1. सीटों की उपलब्धता।
 2. पाठ्यक्रम-विशिष्ट योग्यता।
 3. महाविद्यालय की वरीयता का आदेश।
 4. श्रेणी।
 5. इस दस्तावेज़ (CSAS-2025), UG BOI - 2025, में उल्लेखित या UoD की प्रवेश वेबसाइट पर प्रकाशित कोई अन्य आवंटन नियम, नीतियां या मानदंड।
- उम्मीदवार को स्पोर्ट राउंड में आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। स्पोर्ट एडमिशन राउंड में आवंटित सीट को स्वीकार करने में विफलता यूओडी में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की पात्रता को जब्त कर लेगी और वह सीएसएस से बाहर हो जाएगा। स्पोर्ट एडमिशन राउंड के दौरान 'अपग्रेड' और 'वापसी' का कोई विकल्प नहीं होगा।



टाई-ब्रेकिंग नियम

टाई की स्थिति में, जहां दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के पास प्रोग्राम + महाविद्यालय कॉम्बिनेशन के लिए समान CUET (UG) - 2025 मेधा अंक (मेरिट स्कोर) है, टाई को तोड़ने के लिए बताए गए क्रम में निम्नलिखित नियम लागू किए जाएंगे:

1. बारहवीं कक्षा के सर्वश्रेष्ठ 3 विषयों में कुल अंकों के उच्च प्रतिशत वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।
2. बारहवीं कक्षा के सर्वश्रेष्ठ 4 विषयों में कुल अंकों के उच्च प्रतिशत वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।
3. बारहवीं कक्षा के सर्वश्रेष्ठ 5 विषयों में कुल अंकों के उच्च प्रतिशत वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।
4. उम्मीदवार की आयु; वरीयता उस उम्मीदवार को दी जाएगी जिसकी जन्म तिथि पहले है (जैसा कि दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है)।
5. दसवीं कक्षा में कुल अंकों का उच्च प्रतिशत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।



नोट:-

1. यदि अंकपत्र में ग्यारहवीं और बारहवीं दोनों के अंक हैं, तो केवल बारहवीं कक्षा के अंकों पर ही विचार किया जाएगा।
2. सैद्धांतिक, प्रायोगिक या कुल अंकों की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की विसंगति की पूरी ज़िम्मेदारी उम्मीदवार की होगी। उम्मीदवार द्वारा दी गई गलती या गलत जानकारी के कारण आवंटित सीट रद्द की जा सकती है।
3. यदि दसवीं या/और बारहवीं कक्षा की अंकपत्र में सीजीपीए/ग्रेड हैं, तो उम्मीदवार को जारी करने वाले परीक्षा बोर्ड के अनुसार ग्रेड को समकक्ष अंकों/प्रतिशत में परिवर्तित करना होगा।



शुल्क भुगतान

प्रवेश शुल्क की सफल प्राप्ति के बाद ही एक उम्मीदवार के प्रवेश की पुष्टि की जाएगी। प्रवेश शुल्क का भुगतान केवल उम्मीदवार के डैशबोर्ड के माध्यम से किया जाना चाहिए। यदि निर्धारित समय के भीतर प्रवेश शुल्क सफलतापूर्वक प्रेषित नहीं किया जाता है, तो प्रवेश किसी भी परिस्थिति में पूर्ण नहीं माना जाएगा।

सभी भुगतानों के लिए, उम्मीदवारों को इनमें से किसी भी भुगतान मोड का उपयोग करना चाहिए: कोई नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / यूपीआई।

नोट: प्रवेश शुल्क के सफल भुगतान पर, उम्मीदवार को भविष्य के संदर्भ के प्रमाण के रूप में भुगतान की लेनदेन आईडी / क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग विवरण और लेनदेन की तारीख का रिकॉर्ड रखना चाहिए।



भुगतान विफलताएं

भुगतान विफलता से संबंधित संभावित समस्याओं में:

1. यदि खाते से राशि नहीं कटती है, तो उम्मीदवार को भुगतान की समय सीमा से पहले पुनः भुगतान करने का प्रयास करना होगा।
2. उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन भुगतान करने के लिए एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग किया गया हो।
3. सफल भुगतान करने के लिए उम्मीदवार को सही क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना होगा।
4. यदि राशि कट जाती है, लेकिन कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो उम्मीदवार अपने स्रोत बैंक से पुष्टि प्राप्त कर सकता है।
5. यदि स्रोत बैंक से सफल लेनदेन की पुष्टि हो जाती है और भुगतान विफलता डैशबोर्ड पर दिखाई देती रहती है, तो उम्मीदवार आईसीआईसीआई ईजीपे पेमेंट गेटवे हेल्पलाइन से सोमवार से शनिवार (दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर) सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच निम्नलिखित ईमेल और मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकता है:

ईमेल पता: dupaymentquery@icici.com

मोबाइल नंबर: +91 7304922057

उम्मीदवार का नाम	लेन-देन की तिथि	लेन-देन संख्या/आईडी	पाठ्यक्रम का नाम जिसके लिए आवेदन किया गया	ईमेल आईडी	मोबाइल नं. यूओडी आवेदन में दर्ज किया गया	पूछताछ की प्रकृति
####	DD.MM.YYYY	2#####	जैसे- बी ए (आनर्स) हिंदी	अभ्यर्थी की ईमेल आईडी	अभ्यर्थी की मोबाइल नंबर	#####

शुल्क वापस करने की नीति

उम्मीदवार द्वारा प्रवेश वापस लेने के कारण, पूर्ण प्रवेश शुल्क केवल तभी वापस किया जाएगा जब वापसी प्रवेश की अंतिम तारीख से पहले की गई हो, जैसा कि यूओडी द्वारा घोषित किया गया है। प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद की गई निकासी के लिए प्रवेश शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

निम्नलिखित के लिए रिफंड नहीं किया जाएगा:

- a) CSAS (UG)-2025 आवेदन शुल्क
- b) मिड-एंट्री शुल्क
- c) निकासी शुल्क

प्रवेश बंद होने पर रिफंड की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शहरी विकास विभाग दाखिले बंद होने के तीन माह के भीतर प्रतिदाय का निपटान करने का प्रयास करेगा।



मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य आवश्यकता

सीएसएस-2025 के समापन पर, सभी प्रवेशित उम्मीदवारों को महाविद्यालय को रिपोर्ट करना होगा और दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के भौतिक सत्यापन सहित महाविद्यालय की सभी प्रवेश औपचारिकताओं को पूरा करना होगा।

एक उम्मीदवार का प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम है और महाविद्यालय द्वारा मूल दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन है। महाविद्यालय सभी दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की फिर से जांच करेगा। भौतिक सत्यापन के दौरान, यदि कोई दस्तावेज/प्रमाणपत्र, अपर्याप्त/अनुपयुक्त पाया जाता है, तो इससे स्वतः ही प्रवेश रद्द हो जाएगा। इसके अलावा, ऐसा उम्मीदवार शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए यूओडी के किसी भी यूजी कार्यक्रम में प्रवेश के अवसर को खो देगा।

डॉ. विजय नारायण सिंह
संयोजक, प्रवेश समिति



प्राचार्य एवं डॉ. विजय नारायण सिंह, संयोजक
डॉ. संदीप कुमार, सह-संयोजक, प्रवेश समिति



प्रोफेसर सुभाष कुमार सिंह, प्राचार्य



प्रवेश समिति

डॉ. विजय नारायण सिंह-संयोजक

Mob:- 9810894389

Email:- ajkus4you@gmail.com

डॉ. संदीप कुमार - सह-संयोजक

Mob:- 9868793223

Email:- slkataria1509@gmail.com

डॉ. राम चन्द्र - सदस्य

Mob:- 9540185573

Email:- ramchandrasaroj15@gmail.com

श्री छोटे लाल पांडे - सदस्य

Mob:- 9560101655

Email:- chhotelalpandey03@gmail.com

डॉ. प्रतिभा त्रिपाठी - सदस्य

Mob:- 9899896103

Email:- drprabtibha@gmail.com

डॉ. फैय्याज आलम- सदस्य

Mob:- 9818356471

Email:- faiyaz@rediffmail.com

सुश्री शरण्या गांगुली - सदस्य

Mob:- 8376970062

Email:- sharanyaganguly20@gmail.com

सुश्री नेहा

Mob:- 8168249905

Email:- neha.beniwal1999@gmail.com

श्री पदम सिंह- सदस्य

Mob:- 7011838855

Email:- padamsinghktl@gmail.com

श्री मोहित - सदस्य

Mob:- 8800415748

Email:- 19mohitdahiya99@gmail.com

डॉ. मनोज कुमार सिंह - सदस्य

Mob: 9452636289

Email Id: manojkumars865@gmail.com



प्रवेश समस्या निवारण समिति

डॉ. मुन्ना कुमार पाण्डेय, नोडल अधिकारी

Mob:- 9013729887

Email:- makpandeydu@gmail.com

डॉ. प्रदीप कुमार , नोडल ऑफिसर, आरक्षित श्रेणी

Mob:- 9818039311

Email:- pradeepswedu@gmail.com

डॉ. दिव्या महाजन- सदस्य

Mob:- 9811647654

Email:- mahajan.divya84@gmail.com

श्री जिया लाल - सदस्य

Mob:- 9868475800

Email:- jiyalal.polsci@gmail.com

सुश्री रूचि कालिया- सदस्य

Mob:- 9654656669

Email:- kalia_ruchi@rediffmail.com

डॉ. प्रतिभा त्रिपाठी - सदस्य

Mob:- 9899896103

Email:- drprabtibha@gmail.com

डॉ. संजय चौधरी

Mob:- 9968555555

Email:- sanjaychoudhary5379@gmail.com

डॉ. भावना शर्मा - सदस्य

Mob:- 9873119603

Email:- bhavnasharma1857@gmail.com

डॉ. आशुतोष त्रिवेदी- सदस्य

Mob:- 9868145607

Email:- a_ash_tri@yahoo.co.in

डॉ. बशीर शाहीन - सदस्य

Mob:- 9871148567

Email:- bashirshaheen.du.1993@gmail.com



प्रवेश नोडल अधिकारी

डॉ. स्वस्ति अल्पना

Mob:- 9717138131

Email:- nodalofficer@satyawati.du.ac.in



महाविद्यालय समस्या निवारण समिति

श्री शशि शेखर प्रसाद सिंह- संयोजक

Mob:- 9213491442

Email:- sspsingh007@yahoo.com

डॉ नितिन नवीन , सह -संयोजक

Mob:- 9868945175

Email:- nitinnavin@gmail.com

श्रीमती तापसी सिंह , सदस्य

Mob:- 9810649384

Email:- tapshisingh@ymail.com

प्रो. नीलम मित्तल , सदस्य

Mob:- 9818014055

Email:- neelam.mittal77@gmail.com

श्री अभिमन्यु कुमार मिश्र, सदस्य

Mob:- 8178911366

Email:- abhimishra822@gmail.com

डॉ. अरुण गिरी , सदस्य

Mob:- 7982093694

Email:- agiri@satyawati.du.ac.in



श्रेणी (category) प्रमाण पत्र सत्यापन समिति

डॉ. अनुपम सन्नी-संयोजक

Mob:- 9711057844

Email:- anupamsunny@gmail.com

डॉ. छत्र पाल

Mob:- 9953274871

Email:- cpsinghsawad@gmail.com

डॉ. मनोज कुमार नेगी

Mob:- 9540912720

Email:- manojnegi931@gmail.com

श्रीमती डेज़ी राज

Mob:- 9711434496

Email:- daisyraraj84@gmail.com



आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति

डॉ. स्टीवेन रेन, संयोजक

Mob:- 9868005323

Email:- stevenreign@gmail.com

डॉ. चन्दन कुमार

Mob:- 8287505080

Email:- chandanjnu.india@gmail.com

डॉ. ईश्वर दान

Mob:- 9818971955

Email:- ishuu91@gmail.com

डॉ. मनोज कुमार सिंह

Mob:- 9452636289

Email:- manojkumars865@gmail.com

सुश्री भावना सिंह

Mob:- 9917740997

Email:- dhariwalbhawna07@gmail.com



छात्र उत्पीड़न विरोधी समिति (एंटी रैगिंग कमेटी)

श्री मोहित , संयोजक

Mob:- 8800415748

Email:- 19mohitdahiya99@gmail.com

डॉ. मनोज कुमार , सह- संयोजक

Mob:- 9891271275

Email:- manoj9kr95@gmail.com

डॉ. चन्दन कुमार

Mob:- 8287505080

Email:- chandanjnu.india@gmail.com

श्री पदम सिंह

Mob:- 7011838855

Email:- padamsinghktl@gmail.com

डॉ. तनुजा

Mob:- 7827283300

Email:- drtanuja14@gmail.com

सुश्री नेहा

Mob:- 8168249905

Email:- neha.beniwal1999@gmail.com

डॉ. मोहम्मद रुकुनुद्दीन

Mob:- 9891765225

Email:- ruknu786@gmail.com

डॉ. प्रतिभा त्रिपाठी

Mob:- 9899896103

Email:- drprabtibha@gmail.com



Sec/Vac समिति

प्रो. अजय झा , नोडल अधिकारी

9810914458

Email:- dr.ajaydu@gmail.com

डॉ. आरिफ इश्तियाक- संयोजक

Mob:- 9891627264

Email:- aarifdu@gmail.com

डॉ. अलीशा धींगरा, सह -संयोजक, GE

Mob:- 8920112275

Email:- alishadhingra@satyawati.du.ac.in

सुश्री शरण्या गांगुली , सह-संयोजक , SEC

Mob:- 8376970062

Email:- sharanyaganguly20@gmail.com

सुश्री निकिता दुरेजा , सह-संयोजक, AEC

Mob:- 8588829853,

Email:- nitikadureja@satyawati.du.ac.in

डॉ. अजय कुमार यादव , सह-संयोजक, VAC

Mob:- 9999877698

Email:- ajjujnu@gmail.com

श्रीमती स्वस्ति शर्मा , सह -संयोजक , DSE

Mob:- 9582758622

Email:- swasti95@gmail.com

डॉ. स्वरुप सन्ता

Mob:- 9315540314

Email:- santra.swarup@gmail.com

डॉ. मोहम्मद रुकनुद्दीन

Mob:- 9891765225

Email:- ruknu786@gmail.com

सुश्री अन्विता

Mob:- 7289034430

Email:- anwita25@gmail.com

सुश्री नेहा

Mob:- 8168249905

Email:- neha.beniwal1999@gmail.com

चतुर्थ वर्ष :अनुप्रयोग

संयोजक – डॉ. अनुपम सन्नि

Email:-anupamsunny@gmail.com



विभागीय प्रतिनिधि

वाणिज्य: -

बी.कॉम (विशेष) एवं बी कॉम (प्रोग्राम)

श्री विवेक कुमार

श्रीमती सोनिया प्रकाश

डॉ. श्वेता कालरा

श्री रवीन्द्र कुमार

श्रीमती डेजी राज

श्रीमती अंजलि चंद्रा

डॉ. अंजलि दरयाल

शिकायत प्रकोष्ठ- डॉ. राजकुमार

सहायता केंद्र – डॉ. ईश्वर

राजनीति विज्ञान

डॉ आदित्य नारायण मिश्रा

डॉ. अलिशा धींगरा

डॉ. भावना शर्मा

डॉ. नीलू अनीता टिग्गा

शिकायत प्रकोष्ठ – डॉ.निशांत भारद्वाज

सहायता केंद्र – डॉ. नीलू अनीता टिग्गा

इतिहास

डॉ. राम चंद्र

श्री छोटेलाल पाण्डेय

शिकायत प्रकोष्ठ – डॉ. मनोज कुमार सिंह

सहायता केंद्र- डॉ. ईश्वर दान

अर्थशास्त्र

सुश्री. अनु वर्मा

श्री रवीन्द्र राम

शिकायत प्रकोष्ठ – प्रो. रघुनाथ साकेत

सहायता केंद्र- डॉ. कोकिला मीना

अंग्रेजी

डॉ. काजल टिहरी

डॉ. मुकेश

शिकायत प्रकोष्ठ – प्रो. सुनंदा सिन्हा

सहायता केंद्र- श्री शशिशेखर

हिन्दी

डॉ. ममता देवी

डॉ. अजय कुमार

डॉ. विनोद कुमार चौबे

शिकायत प्रकोष्ठ – डॉ. अजय कुमार यादव

सहायता केंद्र- डॉ. विनोद कुमार चौबे

**गणित:**

डॉ. वाणी शर्मा
डॉ. वनीता गोएल
शिकायत प्रकोष्ठ: - डॉ. वनीता गोएल
सहायता केंद्र: - डॉ. दिव्या महाजन

संस्कृत: -

डॉ. प्रतिभा त्रिपाठी
सुश्री नेहा
शिकायत प्रकोष्ठ: डॉ. संदीप कुमार
सहायता केंद्र: सुश्री नेहा

उर्दू: -

डॉ. फैयाज़ आलम
डॉ. बशीर शाहीन
डॉ. अफसाना
शिकायत प्रकोष्ठ: डॉ. कमर उल हसन
सहायता केंद्र: डॉ. फैयाज़ आलम

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों की निवारण समिति, 2025)**

प्रो. रेनू जैन, संयोजक

Mob:- 9891413143

Email:- profsrenu@gmail.com

श्रीमती अनीता समकरिया, सदस्य

Mob:- 9212724080

Email:- anitasamkaria@gmail.com

डॉ. रेखा शर्मा, सदस्य

Mob:- 9718168335

Email:- rekhasharmaaol16@gmail.com

डॉ. ईश्वर दान, सदस्य

Mob:- 9818971955

Email:- ishuu91@gmail.com

**बी. ए. (प्रोग्राम) प्रवेश समिति****वाणिज्य:**

सुश्री नेहा रानी
डॉ. वंदना गोस्वामी

राजनीति विज्ञान:

डॉ. अखिलेश तिवारी
श्री चन्द्र भूषण

इतिहास:

डॉ. चन्दन कुमार
श्री मोहित

अर्थशास्त्र:

डॉ. छत्रपल सिंह
डॉ. श्रेया शर्मा

अंग्रेजी:

श्री अभिमन्यु कुमार मिश्र
सुश्री उद्दिपना बोरा

हिंदी: -

डॉ. ममता देवी
डॉ. अजय कुमार
डॉ. विनोद कुमार चौबे

गणित:

सुश्री भावना सिंह
श्री पदम् सिंह

संस्कृत:

डॉ. प्रतिभा त्रिपाठी
सुश्री नेहा

प्रवेश विवरणिका समिति (हिंदी)

- डॉ. राकेश कुमार सिंह, (संयोजक)
- श्री अभिमन्यु कुमार मिश्र, सदस्य
- डॉ. राम चंद्र, सदस्य
- डॉ. अलीशा ढींगरा, सदस्य
- डॉ. प्रतिभा, त्रिपाठी, सदस्य
- डॉ. ममता देवी, सदस्य
- डॉ. तनूजा, सदस्य
- डॉ. रविंदर कुमार, सदस्य
- श्री राहुल कुमार, सदस्य (कंप्यूटर लैब सहायक)

प्रवेश विवरणिका समिति (अंग्रेजी)

- डॉ. स्वस्ति अल्पना, (संयोजक)
- डॉ. अनुपम सत्री, (सह-संयोजक)
- प्रो. नीलम मित्तल, सदस्य
- सुश्री मिली ऐश्वर्या, सदस्य
- सुश्री डेज़ी राज, सदस्य
- डॉ. मुन्ना कुमार पाण्डेय, सदस्य



वार्षिकोत्सव 2024-25



स्नातक प्रवेश आवश्यक अर्हता/पात्रता



सामान्य न्यूनतम पात्रता

उम्मीदवार को किसी एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। न्यूनतम पात्रता निर्धारित करने के लिए, केवल एक बोर्ड की अंकतालिका/डिग्री ही मान्य होगी। (उदाहरण के लिए, यदि कोई उम्मीदवार गणित को छोड़कर पाँच विषयों के साथ सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुआ है और बाद में किसी अन्य बोर्ड, जैसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से गणित में उत्तीर्ण होता है, तो न्यूनतम पात्रता केवल सीबीएसई द्वारा जारी उसकी अंकतालिका से ही निर्धारित की जाएगी।)

कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता

उम्मीदवारों के लिए CUET(UG)-2025 में उन विषयों में उपस्थित होना अनिवार्य है, जिनमें वह कक्षा XII उत्तीर्ण कर रहा है/उत्तीर्ण हो चुका है। पाठ्यक्रम विशिष्ट पात्रता का पता लगाने के उद्देश्य से और कक्षा XII विषयों के साथ CUET विषय (ओं) की मैपिंग के लिए, एक से अधिक मान्यता प्राप्त बोर्ड की मार्कशीट पर विचार किया जा सकता है बशर्ते उम्मीदवार ने उन विषयों को कक्षा XII में उत्तीर्ण किया हो।

दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए CUET (UG)-2025 में चुनी जाने वाली भाषाओं और डोमेन विशिष्ट विषयों की सूची।

CUET(UG)-2025 की धारा 1A और धारा 1B की भाषाओं की सूची

असमी	हिंदी	उड़िया	तेलुगू
बंगाली	कन्नड़	पंजाबी	उर्दू
अंग्रेज़ी	मलयालम	संस्कृत	
गुजराती	मराठी	तमिल	



सूची बी

CUET 2025 के खंड II में उल्लिखित विषयों/टेस्ट पेपरों को सूची B1 और सूची B2 के तहत वर्गीकृत किया गया है। उम्मीदवार को उन विषयों को चुनने के लिए कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता का उल्लेख करना चाहिए जिनमें चयनित कार्यक्रम में प्रवेश के लिए विचार करने के लिए CUET 2025 में उपस्थित होना चाहिए।

सूची बी में विषय			
1	अकाउंटेंसी/बुक कीपिंग	12	इतिहास
2	कृषि	13	गृह विज्ञान
3	नृविज्ञान	14	भारत में ज्ञान परंपरा और व्यवहार
4	जीव विज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी / जैव रसायन	15	जनसंचार माध्यम / जनसंचार
5	व्यवसाय अध्ययन	16	गणित / अनुप्रयुक्त गणित
6	रसायन शास्त्र	17	प्रदर्शन कलाएँ (नृत्य, नाटक, संगीत)
7	कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास	18	शारीरिक शिक्षा (योग, खेल)
8	अर्थशास्त्र/व्यावसायिक अर्थशास्त्र	19	भौतिकी
9	पर्यावरण अध्ययन/ पर्यावरण विज्ञान	20	राजनीति विज्ञान
10	ललित कला / दृश्य कला (मूर्तिकला / चित्रकला) / वाणिज्यिक कलाएँ	21	मनोविज्ञान
11	भूगोल / भूविज्ञान	22	समाजशास्त्र

उम्मीदवार को डोमेन-विशिष्ट विषयों को चुनने के लिए कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता का संदर्भ लेना होगा, जिसमें उसे CUET (UG) - 2025 में शामिल होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें (https://www.du.ac.in/uploads/07032025_UG-BOI_compressed.pdf)

प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची

आवेदक को प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड(Upload) करने होंगे। यदि आवेदक पंजीकरण के समय ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे प्रवेश प्रक्रिया के अंत में मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

1. दसवीं कक्षा का बोर्ड परीक्षा प्रमाणपत्र।
2. दसवीं कक्षा की अंकतालिका।
3. बारहवीं कक्षा की अंकतालिका।
4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र। (उम्मीदवार के नाम पर)।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉनक्रीमी लेयर) (NCL) प्रमाणपत्र (उम्मीदवार के नाम पर) जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी नियमानुसार, 31 मार्च, 2025 के बाद जारी किया गया हो।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसका प्रमाणपत्र (उम्मीदवार के नाम पर) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी नियमानुसार, 31 मार्च, 2025 के बाद जारी किया गया हो।
7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र।



प्रवेश की कुल स्वीकृत संख्या (2025-26)

पाठ्यक्रम	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक कमजोर
बी. ए. (प्रोग्राम)	169	46	29	93	32
बी. कॉम (प्रोग्राम)	78	29	14	52	20
बी. कॉम (ऑनर्स)	78	29	14	52	20
बी. एस. सी. (ऑनर्स) गणित	23	9	4	16	6
बी. ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र	31	12	6	21	8
बी. ए. (ऑनर्स) हिंदी	23	9	4	16	6
बी. ए. (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान	31	12	6	21	8
बी. ए. (ऑनर्स) संस्कृत	23	9	4	16	6
बी. ए. (ऑनर्स) उर्दू	23	9	4	16	6
बी. ए. (ऑनर्स) अंग्रेजी	23	9	4	16	6
बी. ए. (ऑनर्स) इतिहास	43	16	8	29	8
कुल स्वीकृत सीट	545	189	97	348	126

अस्वीकरण : इस विवरण पुस्तिका में दिए गए आंकड़े केवल सांकेतिक हैं।



बीए (प्रोग्राम), कुल सीट संख्या (seat matrix) 2025-26

क्रम संख्या	बीए प्रोग्राम संयोजन की सूची *	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक कमजोर वर्ग	अल्पसंख्यक	CW	PwBD	KM
1	बी.ए. प्रोग्राम (अर्थशास्त्र + इतिहास)	11	6	3	2	2	NA	1	1	0
2	बी.ए. प्रोग्राम (अर्थशास्त्र + गणित)	11	6	3	2	2	NA	1	1	0
3	बी.ए. प्रोग्राम (अर्थशास्त्र + कार्यालय प्रबंधन और सचिवीय अभ्यास (ओएमएसपी))	11	6	3	2	2	NA	2	1	0
4	बी.ए. प्रोग्राम (अर्थशास्त्र + राजनीति विज्ञान)	11	6	3	2	2	NA	1	1	0
5	बी.ए. प्रोग्राम (अंग्रेजी + इतिहास)	11	6	3	2	2	NA	1	1	0
6	बी.ए. प्रोग्राम (अंग्रेजी + राजनीति विज्ञान)	11	6	3	2	2	NA	1	1	0
7	बी.ए. प्रोग्राम (हिंदी + इतिहास)	11	6	3	2	2	NA	1	1	0
8	बी.ए. प्रोग्राम (हिंदी + राजनीति विज्ञान)	11	6	3	2	2	NA	1	1	0
9	बी.ए. प्रोग्राम (इतिहास + गणित)	11	6	3	2	2	NA	2	1	0
10	बी.ए. प्रोग्राम (इतिहास + राजनीति विज्ञान)	19	11	6	3	4	NA	2	2	0
11	बी.ए. प्रोग्राम (गणित + कार्यालय प्रबंधन और सचिवीय अभ्यास (ओएमएसपी))	11	6	3	2	2	NA	2	1	0
12	बी.ए. प्रोग्राम (गणित + राजनीति विज्ञान)	11	6	3	2	2	NA	2	1	0
13	बी.ए. प्रोग्राम (संस्कृत + राजनीति विज्ञान)	9	5	2	1	2	NA	1	1	0
14	बी.ए. प्रोग्राम (अर्थशास्त्र + अंग्रेजी)	11	6	3	2	2	NA	1	1	0
15	बी.ए. प्रोग्राम (इतिहास + संस्कृत)	9	5	2	1	2	NA	1	1	0
	कुल	169	93	46	29	32	NA	20	16	0



प्रस्तावित पाठ्यक्रम

महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार निम्नलिखित स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है:

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

- एम.ए. राजनीति विज्ञान (14 सीटें)

स्नातक पाठ्यक्रम

- बी. कॉम (ऑनर्स)
- बी. कॉम (प्रोग्राम)
- अर्थशास्त्र (ऑनर्स)
- अंग्रेजी (ऑनर्स)
- हिंदी (ऑनर्स)
- इतिहास (ऑनर्स)
- गणित (ऑनर्स)
- राजनीति विज्ञान (ऑनर्स)

- संस्कृत (ऑनर्स)
- उर्दू (ऑनर्स)
- बीए (प्रोग्राम)

*पर्यावरण अध्ययन एक वर्ष में सभी विद्यार्थियों को प्रदान किया जाने वाला क्षमता आधारित उन्नत पाठ्यक्रम है। ईवीएस और एईसी पेपर बी.कॉम (ऑनर्स), सेम 1, बी.कॉम (प्रोग्राम) सेम 1, बीए (प्रोग्राम) सेम 1, कोर्स के सभी विद्यार्थियों को सेमेस्टर 1 में ईवीएस और सेमेस्टर 2 में एईसी पेपर पढ़ाया जाएगा। विद्यार्थी सेमेस्टर-1 में एईसीसी पेपर के रूप में अंग्रेजी/हिंदी/उर्दू/संस्कृत का विकल्प चुन सकते हैं।

बीए (ऑनर्स), अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इतिहास और गणित के सभी विद्यार्थियों को सेम-2 में ईवीएस और सेमेस्टर-1 में एईसी पेपर पढ़ाया जाएगा। विद्यार्थी सेमेस्टर-1 में एईसीसी पेपर के रूप में अंग्रेजी/हिंदी/उर्दू/संस्कृत का विकल्प चुन सकते हैं। उन्हें ईवीएस पेपर सेमेस्टर-2 पढ़ाया जाएगा।



अल्पकालिक पाठ्यक्रम

महाविद्यालय में जर्मन और फ्रेंच में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्स ऑफर किए जाते हैं कक्षाओं का समय: सुबह 7.30 बजे से 9.30 बजे तक।

शुल्क: प्रवेश शुल्क '10,690/- (वार्षिक) (प्रवेश के बाद अप्रतिदेय)



वाणिज्य विभाग

प्रो. राधेश्याम भारद्वाज, प्रभारी

1. प्रो. सीए आभा माथुर, एफसीए, एम.कॉम, पीजी डिप (बीएम), डिप। (कॉम्प. प्लॉग), सी.एस., पीएच.डी.
2. प्रो. राधेश्याम भारद्वाज, एम.कॉम, एम.फिल., पीएच.डी.
3. प्रो. सरफराज अहमद, एम.कॉम, एम.फिल., पीएच.डी.
4. श्रीमती संध्या तनेजा, एम.कॉम, एम.फिल.
5. प्रो. रेणु जैन, एम.कॉम, एम.फिल., पीएच.डी.
6. श्रीमती सुनीता जिंदल, एम.कॉम, एम.फिल.
7. श्रीमती सोनिया प्रकाश, एम.कॉम, एम.फिल.
8. डॉ. नितिन नवीन, एम.कॉम, एम.फिल. एम. एस सी (एफएसएस), पीएच.डी.
9. श्रीमती अंजलि चंद्रा, एम.कॉम, पीजीडीबीए
10. डॉ. मंजू इब्रान, एम.कॉम, एम.फिल., पीएच.डी.
11. डॉ. राज कुमार, बी.कॉम, बी.एड., एम.कॉम, पीएच.डी.
12. डॉ. आशुतोष गोस्वामी, एम.कॉम, एम.फिल, एमबीए, पीएच.डी.
13. डॉ. वंदना गोस्वामी, एम.कॉम, एम.फिल., पीएच.डी.
14. डॉ. अंजलि दरियाल, एम.कॉम, एमबीई, पीएच.डी.
15. डॉ. मनोज कुमार, एम.कॉम, एम.फिल., पीएच.डी.
16. श्रीमती रुचि कालिया, एमबीए
17. डॉ. श्वेता कालरा, एम.कॉम, एम.फिल., पीएच.डी.
18. डॉ. तरन्तुम आमीर, एम.कॉम, पीएच.डी.
19. श्रीमती भामिनी गर्ग, एम.कॉम, एम.फिल.
20. श्रीमती कंगन जैन, एम.कॉम,
21. सुश्री निकिता दुरेजा, एम.कॉम,
22. श्री विवेक कुमार, एम.कॉम, एम.फिल.
23. सुश्री अंजलि आर मीणा, एम.कॉम,
24. श्रीमती ऐमन, एम.कॉम,
25. डॉ. राकेश चंदर, एम.कॉम, पीएच.डी.
26. डॉ. ईश्वर सिंह दर्जी, एम.कॉम, पीएच.डी.
27. श्रीमती डेज़ी राज, एम.कॉम,
28. श्री रविंदर, एम.कॉम,
29. डॉ. नेहा, एम.कॉम, पीएच.डी.
30. * सुश्री नेहा रानी, एमए अंग्रेजी (ओएमएसपी)(contractual)

अर्थशास्त्र विभाग

प्रो. रघुनाथ साकेत, प्रभारी

1. प्रो. अंकुर भटनागर, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
2. प्रो. सी शरतचंद, एम.ए., पीएच.डी..
3. श्रीमती मृदुला भाटिया, एम.ए., एम.फिल.
4. प्रो. रघुनाथ प्रसाद साकेत, एम.ए., एम.एस सी, एम.फिल., पीएच.डी.
5. डॉ. रेणु सिन्हा, एम.ए., पीएच.डी.
6. डॉ. ममता चौधरी, एम.ए., पीएच.डी.
7. डॉ. बसंती कुमार नायक, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
8. डॉ. स्वरूप संत्रा, एम.एस सी., एम.फिल., पीएच.डी.
9. डॉ. कोकिला मीणा, एम.ए., पीएच.डी.
10. श्री रविंदर राम, एम.ए.
11. सुश्री तानिया भाटिया, एम.ए.
12. सुश्री श्रेया शर्मा, एम.ए., पीएच.डी.
13. डॉ. पूजा, एम.ए., पीएच.डी.
14. श्री अमित कुमार, एम.ए.
15. सुश्री अनु वर्मा, एम.ए.
16. श्री मोहम्मद इरफान आलम, एम.ए.
17. डॉ. श्वेता कुमारी, एम.ए., पीएच.डी.
18. डॉ. छत्रपाल, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.



अंग्रेजी विभाग

प्रो. सुनंदा सिन्हा, प्रभारी

1. प्रो. अंजला उपाध्याय, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
2. श्रीमती अनीता समकारिया, एम.ए., एम.फिल।
3. सुश्री अंजला डायमरी, एम.ए.
4. डॉ. शौभिक दास, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
5. डॉ. सोहन लाल, एम.ए., पीएच.डी.
6. डॉ. पूनम सिंह, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
7. श्री प्रवीण राज सिंह, एम.ए., एम.फिल.
8. श्रीमती बैशाली बरुआ, एम.ए., एम.फिल.
9. डॉ. वंदना सिंह, एम.ए., पीएच.डी.
10. प्रो. नीलम मित्तल, एम.ए., पीएच.डी.
11. प्रो. सुनंदा सिन्हा, एम.ए., पीएच.डी.
12. डॉ. काजल तेहरी, एम.ए., पीएच.डी.
13. श्रीमती स्वस्ति शर्मा, एम.ए., एम.फिल.
14. सुश्री शरण्या गांगुली, एम.ए., एम.फिल.
15. डॉ. मिली ऐश्वर्या, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
16. सुश्री उद्दीपना बोरा, एम.ए., एम.फिल.
17. डॉ. मुकेश, एम.ए., पीएच.डी.
18. श्री शशि शेखर, एम.ए.
19. श्री अभिमन्यु कुमार मिश्रा, एम.ए., एम.फिल.



पर्यावरण अध्ययन विभाग

डॉ. ममता राणा, प्रभारी

1. डॉ. अनुपम सत्री, एम.एस सी., पीएच.डी.
2. डॉ. ममता राणा, एम.ए., एम.टेक., पीएच.डी.,



हिंदी विभाग

प्रो. अवधेश कुमार, प्रभारी

1. प्रो. राज रानी, शर्मा, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
2. प्रो. रचना बिमल, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी., डी.लिट.
3. प्रो. अवधेश कुमार, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
4. श्री आशुतोष पांडेय, एम.ए., एम.फिल.
5. डॉ. संजय कुमार सेठ, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
6. डॉ. मुन्ना कुमार पांडेय, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
7. डॉ. विदित अहलावत, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
8. डॉ. राजेश कुमार, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
9. डॉ. विनोद कुमार चौबे, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
10. डॉ. मनोज कुमार, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
11. डॉ. अजय कुमार, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
12. डॉ. राकेश कुमार सिंह, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
13. डॉ. अजय कुमार यादव, एम.ए., पीएच.डी.
14. डॉ. ममता देवी, एम.ए., पीएच.डी.
15. श्री मुनेश यादव, एम.ए., पीएच.डी.
16. डॉ. अरुंधति, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
17. डॉ. तनुजा, एम.ए., पीएच.डी.
18. डॉ. चायना मीणा, एम.ए., पीएच.डी.
19. डॉ. भावना सरोहा (तदर्थ), एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.



इतिहास विभाग

डॉ. मनोज कुमार सिंह, प्रभारी

1. प्रो. पल्लवी प्रसाद, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
2. डॉ. स्वस्ति अल्पना, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
3. डॉ. रत्नेश कुमार त्रिपाठी, एम.ए., पीएच.डी.
4. डॉ. ईश्वर दान, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
5. डॉ. संदीप कुमार वर्मा, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
6. डॉ. विजय नारायण सिंह, एम.ए., पीएच.डी.
7. श्री संजय कुमार साह, एम.ए., एम.फिल.
8. डॉ. राम चंद्र, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
9. डॉ. मनोज कुमार सिंह, एम.ए., पीएच.डी.
10. श्री मोहित, एम.ए.
11. डॉ. चंदन कुमार, एम.ए., पीएच.डी.
12. श्री छोटे लाल पांडेय, एम.ए., पीएच.डी.



गणित विभाग

डॉ. वनीता गोयल, प्रभारी

1. प्रो. तरुण कुमार गर्ग, एम.एस सी, पीएच.डी.
2. डॉ. मोनिका मेहता, एम.एस सी, एम.फिल., पीएच.डी.
3. डॉ. वाणी शर्मा, एम.एस सी, एम.फिल., पीएच.डी.
4. डॉ. ममता चौधरी, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
5. श्रीमती तापशी सिंह, एम.एस सी, एम.फिल.
6. डॉ. वनीता गोयल, एम.एस सी, पीएच.डी.
7. श्रीमती याक्षी बहल, एम.एस सी, एम.फिल।
8. डॉ. दिव्या महाजन, एम.एस सी, एम.फिल., पीएच.डी.
9. डॉ. ऋतू अग्रवाल, एम.एस सी, एम.फिल., पीएच.डी.
10. श्री पदम सिंह, एम.एस सी
11. सुश्री भावना सिंह, एम.एस सी



राजनीति विज्ञान विभाग

डॉ. नीलू अनीता टिग्गा, प्रभारी

1. डॉ. कंचन शर्मा, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
2. श्री लाजपत राय, एम.ए., एम.फिल.
3. डॉ. नीलू अनीता टिग्गा, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
4. डॉ. प्रदीप कुमार, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
5. श्री वीरेंद्र कुमार, एम.ए., एम.फिल.
6. श्री शशि शेखर प्रसाद सिंह, एम.ए., एम.फिल.
7. डॉ. मोना दास, एम.ए., पीएच.डी.
8. डॉ. स्वदेश सिंह, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
9. डॉ. स्टीवन रेन, एम.ए., पीएच.डी.
10. श्री जिया लाल, एम.ए.
11. डॉ. आदित्य नारायण मिश्रा, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
12. डॉ. आशुतोष त्रिवेदी, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
13. डॉ. अलीशा ढींगरा, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
14. डॉ. भावना शर्मा, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
15. डॉ. निशांत भारद्वाज, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
16. सुश्री अन्विता, एम.ए., एम.फिल.
17. श्री चन्द्रभूषण कुमार, एम.ए.
18. डॉ. अशिलेश कुमार तिवारी, एम.ए., पीएच.डी.
19. सुश्री तमन्ना यादव, एम.ए.



संस्कृत विभाग

डॉ. संदीप कुमार, प्रभारी

- | | |
|---|--|
| 1. प्रो. अंजू सेठ, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. | 4. डॉ. उमा आर्य, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. |
| 2. प्रो. अजय कुमार झा, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. | 5. डॉ. प्रतिभा त्रिपाठी, एम.ए., पीएच.डी. |
| 3. डॉ. मालती राघव, एम.ए., पीएच.डी. | 6. सुश्री नेहा, एम.ए., पीएच.डी. |
| | 7. डॉ. संदीप कुमार, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. |



उर्दू विभाग

डॉ. कमर-उल-हसन, प्रभारी

- | | |
|--|--|
| 1. प्रो. अकील अहमद, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. | 5. डॉ. मो. रुक्नुद्दीन, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. |
| 2. डॉ. कमर-उल-हसन, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. | 6. डॉ. बशीर शाहीन, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. |
| 3. डॉ. आरिफ इश्तियाक, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. | 7. डॉ. फैय्याज आलम, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. |
| 4. डॉ. अफसाना, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. | 8. डॉ. फखरे आलम, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. |



शारीरिक शिक्षा विभाग

डॉ. संजय चौधरी, प्रभारी

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. डॉ. संजय चौधरी, एम.ए., पीएच.डी. | 2. डॉ. रेखा शर्मा, एमपीईडी, एम.फिल., पीएच.डी. |
|------------------------------------|---|

* सभी विभाग के सदस्यों के नाम वरिष्ठता क्रम के अनुसार लिखित नहीं है।



यूजीसीएफ की संरचना (फ्लो चार्ट)

यूजीसीएफ विभिन्न विषयों में चार साल के स्नातक कार्यक्रमों के लिए एक संरचना है जिसमें कई निकास विकल्प हैं। संरचना का विवरण नीचे तालिका -1 में दिया गया है।

बीए (कार्यक्रम) और B.Com (कार्यक्रम) पाठ्यक्रम के लिए यूजीसीएफ की विस्तृत संरचना के लिए, [यहाँ क्लिक करें](#)

तालिका-1

बैचलर ऑफ (फील्ड/डिसिप्लिन) (ऑनर्स)

सारिणी – 3								
स्नातक (अध्ययन क्षेत्र/ अनुशासन) (ससम्मान)								
समसत्र	अनु.वि.मू.(कोर)	वैकल्पिक (अनु.वि.ऐ.,डी एसई)	सामान्य ऐच्छिक (सा.ऐ.,जीई)	क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (क्ष.सं.पा.,ए ईसी)	कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (कौ.सं.पा.,ए सईसी)	सकार्याधिगम/ प्रशिक्षुता/ परियोजना/सा मुदायिक विस्तारण (2)	मूल्य योजन पाठ्यक्रम (वीएसी)(2)	कुल विश्वास मानांक (क्रेडिट)
पहले	अनु.वि.मू.-1(4)		पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए सा. ऐ.-1 (4)	क्ष.सं पा. के निकाय से एक को चुनिए (2)	पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए (2)		पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए (2)	22
	अनु.वि.मू.-2(4)							
	अनु.वि.मू.-3(4)							
द्वितीय	अनु.वि.मू.-4(4)		पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए सा. ऐ.-2 (4)	क्ष.सं पा. के निकाय से एक को चुनिए (2)	पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए (2)		पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए (2)	22
	अनु.वि.मू.-5(4)							
	अनु.वि.मू.-6(4)							
	पहले और दूसरे समसत्र में अपेक्षित 44 विश्वासमानांक (क्रेडिट) अर्जित करने के बाद निःसरण करने पर छात्रों को स्नातक प्रमाणपत्र (अध्ययन / अनुशासन के क्षेत्र में) से सम्मानित किया जाएगा।							कुल= 44
तृतीय	अनु.वि.मू.-7(4)	पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए,	क्ष.सं पा. के निकाय से एक को चुनिए (2)	एक कौ.सं.पा. का चयन कीजिए अथवा सकार्याधिगम/प्र शिक्षुता/परियो जना/सामुदायि क विस्तारण (स.प्र.प.सावि.) (2)	पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए (2)			22
	अनु.वि.मू.-8(4)	अनु.वि.ऐ.-1 (4) अथवा						
	अनु.वि.मू.-9(4)	पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए, सा. ऐ.-3 (4)						
चौथे	अनु.वि.मू.-10(4)	पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए,	क्ष.सं पा. के निकाय से एक को चुनिए (2)	एक कौ.सं.पा. का चयन कीजिए अथवा सकार्याधिगम/प्र शिक्षुता/परियो जना/सामुदायि क विस्तारण	9 पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए (2)			22
	अनु.वि.मू.-11(4)	अनु.वि.ऐ.-2 (4) अथवा						
	अनु.वि.मू.-12(4)	पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए, सा. ऐ.-4 (4)						



				(स.प्र.प.सावि.) (2)		
चौथे समसत्र की सम्पूर्ति पर अपेक्षित 88 विश्वासमानांक (क्रेडिट) अर्जित करने के बाद निःसरण करने वाले छात्रों को स्नातक पत्रोपाधि (अध्ययन / अनुशासन के क्षेत्र में) से सम्मानित किया जाएगा।						कुल= 88
पञ्चम	अनु.वि.मू.-13(4)	पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए, अनु.वि.ऐ. – 3 (4)	पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए सा. ऐ.-5 (4)		एक कौ.सं.पा. चुनिए अथवा सकार्याधिगम/प्र शिक्षता/परियो जना/सामुदायिक विस्तारण (स.प्र.प.सावि.) (2)	22
	अनु.वि.मू.-14(4)					
	अनु.वि.मू.-15(4)					
छठे	अनु.वि.मू.-16(4)	पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए, अनु.वि.ऐ. – 4 (4)	पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए सा. ऐ.-6 (4)		एक कौ.सं.पा. चुनिए अथवा सकार्याधिगम/प्र शिक्षता/परियो जना/सामुदायिक विस्तारण	22
	अनु.वि.मू.-17(4)					
	अनु.वि.मू.-18(4)					
				(स.प्र.प.सावि.) (2)		
छठे समसत्र की सम्पूर्ति पर अपेक्षित 132 विश्वासमानांक (क्रेडिट) अर्जित करने के बाद निःसरण करने वाले छात्रों को स्नातक प्रतिष्ठा उपाधि (अध्ययन / अनुशासन के क्षेत्र में) से सम्मानित किया जाएगा।						कुल= 132
सातवें	अनु.वि.मू.-19(4)	तीन अनु.वि.ऐ. (3x4) पाठ्यक्रमों को चुनिए अथवा दो अनु.वि.ऐ. (2x4) एवं एक सा. ऐ. (4) पाठ्यक्रम को चुनिए अथवा एक अनु.वि.ऐ. एवं दो सा. ऐ. (4) पाठ्यक्रम को चुनिए अथवा सभी तीन सा. ऐ. 7,8,9 (3x4) (कुल = 12)			प्रधान पर लघुशोधप्रबन्ध(6) अथवा गौण पर लघुशोधप्रबन्ध (6) अथवा शैक्षणिक परियोजना/ उद्यमिता (6)	22
आठवें	अनु.वि.मू.-20(4)	तीन अनु.वि.ऐ. (3x4) पाठ्यक्रमों को चुनिए अथवा दो अनु.वि.ऐ. (2x4) एवं एक सा. ऐ. (4) पाठ्यक्रम को चुनिए अथवा एक अनु.वि.ऐ. एवं दो सा. ऐ. (4) पाठ्यक्रम को चुनिए अथवा सभी तीन सा. ऐ. 10,11,12 (3x4) (कुल = 12)			प्रधान पर लघुशोधप्रबन्ध(6) अथवा गौण पर लघुशोधप्रबन्ध (6) अथवा शैक्षणिक परियोजना/ उद्यमिता (6)	22



- * प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट के लिए प्रत्येक सेमेस्टर में एक 'एसईसी' या वैकल्पिक 'इंटर्नशिप / शिक्षता / परियोजना / सामुदायिक आउटरीच' चुनने के लिए III और IV सेमेस्टर में विकल्प होगा।
- * सेमेस्टर III और IV में डीएसई या जीई चुनने का विकल्प होगा।
- ** V और VI सेमेस्टर में प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट के लिए प्रत्येक सेमेस्टर में एक 'एसईसी' या वैकल्पिक 'इंटर्नशिप / शिक्षता / परियोजना / अनुसंधान / सामुदायिक आउटरीच' चुनने का विकल्प होगा।
- # सातवें और आठवें सेमेस्टर में चार विकल्प होंगे -
 - (i) प्रत्येक 4 क्रेडिट के तीन डीएसई चुनने के लिए या
 - (ii) दो डीएसई और 4 क्रेडिट के एक जीई को चुनने के लिए प्रत्येक OR
 - (iii) प्रत्येक 4 क्रेडिट के एक डीएसई और दो जीई चुनने के लिए या
 - (iv) प्रत्येक 4 क्रेडिट के तीन जीई चुनने के लिए।
- ^ ' अनुसंधान क्रियाविधि को VI और VII सेमेस्टर में जीई पाठ्यक्रमों में से एक के रूप में पेश किया जाएगा। विद्यार्थी इसे VI सेमेस्टर या VII सेमेस्टर में चुन सकते हैं। हालांकि, तीन मुख्य विषयों में बहु-विषयक अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को छठे सेमेस्टर में अनुसंधान पद्धति का चयन करना होगा, यदि वह चौथे वर्ष में तीन विषयों में से एक में मेजर करना चाहता है।



विकसित भारत @2047

1. डॉ. मुनेश, संयोजक
2. डॉ. निशांत भारद्वाज, सदस्य
3. श्री मोहित, सदस्य
4. श्री पदम् सिंह, सदस्य
5. सुश्री नेहा, सदस्य
6. डॉ. चायना मीणा सदस्य
7. डॉ. आरिफ इश्तियाक, सदस्य
8. डॉ. संदीप कुमार वर्मा, सदस्य



प्रशासनिक विभाग

डॉ. अरुण गिरि, प्रशासनिक अधिकारी (कार्यवाहक)

डॉ. सुनील कुमार चौबे प्रशासनिक अधिकारी

क्रमांक	नाम	औहदा
1.	श्री सुकई प्रसाद	सहायक
2.	श्री सुनील कुमार	सहायक
3.	श्री सौरभ पालीवाल	सहायक
3.	श्री पवन कुमार	कनिष्ठ सहायक
4.	श्री दयाल राम	कनिष्ठ सहायक
5.	श्री अशोक कुमार	कनिष्ठ सहायक
6.	श्री सुमित चौहान	कनिष्ठ सहायक (संविदा)
	श्री हरीश कुमार	कनिष्ठ सहायक (संविदा)
7.	श्री हरिंदर यादव	दफ्तरी
8.	श्री अब्दुल रऊफ	कार्यालय परिचर
9.	श्री जोगिंदर यादव	कार्यालय परिचर
10.	श्री रमेश नेगी	कार्यालय परिचर
11.	सुश्री शीला देवी	जल महिलाएं
12.	श्री अखिलेश यादव	कार्यालय परिचर
13.	श्री राजेंद्र राम	कार्यालय परिचर
14.	श्री पवन चौहान	कार्यालय परिचर
15.	श्री सतपाल नेगी	कार्यालय परिचर
16.	श्रीमती पूजम बाजपेयी	जल महिलाएं
17.	सुश्री निशा	जल महिला (संविदा)
18.	श्री कृष्ण मुकवाना	एमटीएस
19.	श्री उपेंद्र ओझा	एमटीएस (संविदा)

लेखा अनुभाग

प्रो. राधे श्याम भारद्वाज, बर्सर

डॉ. अरुण गिरि, प्रशासनिक अधिकारी (कार्यवाहक)

क्रमांक	नाम	औहदा
1.	सुश्री ऋचा गाबा	वरिष्ठ सहायक
3.	श्री राकेश कुमार	कनिष्ठ सहायक (संविदा)
4.	श्री कुलजीत पठानिया	एमटीएस
5.	श्री अमित कुमार ओझा	दफ्तरी (संविदा)
6.	श्री सुरेंद्र कुमार	कार्यालय परिचर

पुस्तकालय

डॉ. राजकुमार, पुस्तकालय प्रभारी

क्रमांक	नाम	औहदा
1.	श्री शीतला प्रसाद	व्यावसायिक सहायक
2.	श्रीमती खामोशिका कालरा	अर्ध व्यावसायिक सहायक
3.	श्री राजीव कुमार	अर्ध व्यावसायिक सहायक (Offg.)
4.	श्री जय हिन्द	पुस्तकालय सहायक
5.	श्री प्रवीण यादव	पुस्तकालय सहायक
6.	श्री फैजान	पुस्तकालय सहायक
7.	श्री कृष्णा यादव	पुस्तकालय सहायक
8.	सुश्री कोमल	अर्ध व्यावसायिक सहायक (संविदा)
9.	सुश्री बबिता	अर्ध व्यावसायिक सहायक (संविदा)
10.	श्रीमती शारदा रानी	लाइब्रेरी अटेंडेंट (संविदा)
11.	श्री सुमित	लाइब्रेरी अटेंडेंट (संविदा)
12.	श्री राकेश	लाइब्रेरी अटेंडेंट (संविदा)

कंप्यूटर लैब सेक्शन

क्रमांक	नाम	औहदा
1.	श्रीमती राखी पारीक	वरिष्ठ तकनीकी सहायक
2.	श्री दीप नारायण पांडे	तकनीकी सहायक (संविदा)
3.	श्री राहुल कुमार	लैब सहायक (संविदा)
4.	श्री राजन कुशवाहा	लैब अटेंडेंट



आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

प्रो. सुभाष कुमार सिंह, अध्यक्ष

प्रो. अजय कुमार झा, निदेशक

प्रो. आर.पी. साकेत, सदस्य

डॉ. संजय कुमार सेठ, सदस्य

डॉ. राकेश कुमार सिंह, सदस्य

डॉ. विनोद कुमार चौबे, सदस्य

डॉ. मनोज कुमार सिंह, सदस्य

डॉ. अन्विता, सदस्य

श्री जियालाल, सदस्य

डॉ. स्टीवन रेन, प्रबंधन सदस्य

डॉ. सुनील कुमार चौबे, प्रशासनिक अधिकारी

डॉ. रवि राज, सदस्य, पूर्व छात्र (समिति/ट्रस्ट)

श्रीमती मंजू भारद्वाज, सदस्य (नियोक्ता/औद्योगिक/हितधारक)



राजभाषा प्रकोष्ठ

डॉ. राकेश कुमार सिंह, नोडल अधिकारी

राजभाषा प्रकोष्ठ (Rajbhasha Cell) : 26 जनवरी, 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा बनाया गया। भारत सरकार को हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। तत्पश्चात् राजभाषा अधिनियम 1963 अस्तित्व में आया। राजभाषा अधिनियम बनने के बाद, राजभाषा नियम 1976 लागू किया गया। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, निरंतर हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रयोग करने के लिए आदेश जारी करता है। इसी आदेश के क्रम में राजभाषा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई ताकि महाविद्यालय के कार्यों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके।

सत्यवती महाविद्यालय में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र (Circular) के अनुरूप दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित दिशा-निर्देश पर राजभाषा प्रकोष्ठ बनाया गया है। इसके नोडल अधिकारी डॉ. राकेश कुमार सिंह हैं, आप सह-आचार्य (असोसिएट प्रोफेसर) के पद पर हिंदी विभाग में कार्यरत हैं।



समितियां



सचिव, कर्मचारी परिषद: डॉ. नितिन नवीन

समिति का नाम	संयोजक
1. प्रवेश समिति	डॉ. विजय नारायण सिंह
2. प्रॉक्टोरियल कमेटी	डॉ. निशांत भरद्वाज
3. समय सारणी समिति	डॉ. मनोज कुमार (हिन्दी)
4. विद्यार्थी सलाहकार समिति	श्री मोहित
5. डिबेटिंग समिति अभिवक्ति	प्रो. राज रानी शर्मा
6. कला और संस्कृति समिति	डॉ. बसंती नायक
7. ड्रामेटिक समिति	डॉ. निशांत भारद्वाज
8. खेल समिति	डॉ. रेखा शर्मा
9. नॉर्थ ईस्ट समिति	डॉ. रेनू सिन्हा
10. एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी	डॉ. अजय कुमार (हिन्दी)
11. एनसीसी नौसेना, एएनओ	प्रो. तरुण कुमार गर्ग
12. एनसीसी 5डीजीबीएन-आर्मी गर्ल्स, सीटीओ	सुश्री स्वस्ति शर्मा
13. जीई, एसईसी, वीएसी और आईसी समिति	डॉ. आरिफ इश्तियाक
14. पूर्व विद्यार्थी समिति	डॉ. शशि शेखर (राजनीति विज्ञान)
15. अनुसंधान समिति	डॉ. राजेश कुमार
16. परीक्षा समिति	डॉ. रघुनाथ प्रसाद साकेत
17. बी.ए. (प्रोग्राम) समिति	डॉ. आशुतोष त्रिवेदी
18. *यौन उत्पीड़न के विरुद्ध आंतरिक शिकायत समिति	प्रो. राज रानी शर्मा
19. फिल्म समिति	डॉ. मुन्ना कुमार पांडे
20. फोटोग्राफी समिति	डॉ. अनुपम सत्री
21. सभागार एवं संगोष्ठी कक्ष अनुरक्षण समिति	डॉ. राकेश कुमार सिंह
22. समान अवसर प्रकोष्ठ	डॉ. आशुतोष पाण्डेय
23. कैटीन समिति	डॉ. मुन्ना कुमार पांडे
24. कंप्यूटर लैब समिति	प्रो. अंकुर भटनागर
25. क्रय समिति	प्रो. राज रानी शर्मा
26. पत्रिका समिति	सुश्री स्वस्ति शर्मा
27. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सलाहकार समिति	डॉ. संदीप कुमार (संस्कृत)
28. पुस्तकालय समिति	डॉ. नितिन नवीन
29. विकास समिति	डॉ. रघुनाथ प्रसाद साकेत
30. भेदभाव विरोधी अधिकारी	डॉ. मनोज कुमार (हिन्दी)
31. विदेशी विद्यार्थी सलाहकार समिति	डॉ. अंजलि दर्याल
32. उद्यान समिति	डॉ. ममता राना
33. कैरियर परामर्श और प्लेसमेंट के लिए समिति	प्रो. राधेश्याम भारद्वाज

समितियां



1. कला और संस्कृति समिति

कला और संस्कृति समिति युवा विद्यार्थियों की रचनात्मक ऊर्जा की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच प्रदान करता है। समिति नृत्य और संगीत प्रदर्शन और कार्यक्रमों का आयोजन करता है जो महाविद्यालय जीवन को जीवंत करते हैं और विद्यार्थियों को भविष्य के लिये तैयार करते हैं। महाविद्यालय में ऐसे अनेको विद्यार्थी हैं जो शास्त्रीय और साथ ही नृत्य के लोक रूपों में प्रशिक्षित हैं। समिति इस प्रतिभाओं का उपयोग करता है और विद्यार्थियों को महाविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ प्रदर्शन और प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षित करता है।

2. 'अभिव्यक्ति' - वाद-विवाद समिति

वाद-विवाद समिति नियमित रूप से अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू और संस्कृत में अंतर, इंटर महाविद्यालय और राष्ट्रीय स्तर की वाद-विवाद का आयोजन करती है। समिति अपनी गतिविधियों के माध्यम से सुनने के कौशल, बौद्धिक विचारों, उत्तरदायी दृष्टिकोण और सक्षम बोली जाने वाली कौशल पर जोर देने के साथ एक अनुसंधान उन्मुख प्रतिस्पर्धी विमर्श संस्कृति विकसित करना चाहती है। अभिव्यक्ति ने संस्कृति, इतिहास, राजनीति, वर्तमान मामलों, कानून, खेल और जीवन जैसे विभिन्न मुद्दों पर वाद-विवाद आयोजित की है। अनेको वर्ष हमारे डिबेटर्स ने इंटर-महाविद्यालय, इंटरमहाविद्यालय और राष्ट्रीय स्तर की वाद-विवाद में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है और कई पुरस्कार जीतकर महाविद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे डिबेटर्स ने 1. इंटर-महाविद्यालय, इंटरमहाविद्यालय और राष्ट्रीय स्तर की बहस में महाविद्यालय और कई पुरस्कार जीतकर महाविद्यालय को गौरवान्वित किया है। 2. अभिव्यक्ति द डिबेटिंग समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम: जसवंत कौर मेमोरियल नेशनल डिबेट, (नकद पुरस्कार पूल: 25000, प्रायोजित: प्रोफेसर इंद्रजीत कौर द्वारा), 3. जनक कपूर मेमोरियल नेशनल डिबेट, (नकद पुरस्कार पूल: 23000, प्रायोजित: प्रो अंजू सेठ), 4. सुदेश कुमारी मेमोरियल नेशनल डिबेट (नकद पुरस्कार पूल: 10000, प्रायोजित: प्रो निर्मल जिंदल), 5. बहन सत्यवती स्मारक संसदीय वाद-विवाद प्रतियोगिता (नकद पुरस्कार पूल: 8000, द्वारा प्रायोजित: समिति फंड और पंजीकरण शुल्क), 6. वक्तव्य द टर्नकोट डिबेट, (नकद पुरस्कार पूल: 4600, द्वारा प्रायोजित: समिति फंड और पंजीकरण शुल्क), 7. इंटरमहाविद्यालय पारंपरिक वाद-विवाद प्रतियोगिता (नकद पुरस्कार पूल: 2500, द्वारा प्रायोजित: समिति फंड)।

3. 'द थर्ड एक्ट' - ड्रामैटिक्स समिति

महाविद्यालय के सबसे सक्रिय सोसाइटी में से एक ड्रामैटिक्स समिति 'द थर्ड एक्ट', थिएटर वर्कशॉप, व्याख्यान और नाटक प्रस्तुतियां आयोजित करता है। यह समिति युवाओं को अपनी भावनाओं को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता को पहचानता है। केंद्रित थिएटर कार्यशालाओं के माध्यम से, छिपी हुई अभिनय प्रतिभाओं को पहचाना और निखारा जाता है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभाशाली प्रदर्शक द्वारा शानदार प्रदर्शन होता है। विद्यार्थियों को अपनी कार्यशालाओं का संचालन करने और अपने अभ्यास सत्रों को जारी रखने के लिए महाविद्यालय परिसर में ब्लॉक ए में एक विशाल कक्ष प्रदान किया गया है।

4. फिल्म समिति (सिनेपट्र)

फिल्म समिति नियमित रूप से फिल्म स्क्रीनिंग आयोजित करती है साथ ही विषय, तकनीक आदि पर चर्चा, विश्लेषण और अवलोकन किया जाता है। यह समिति सामूहिक-रूप से सीखने के लिए फिल्मों का उपयोग एक माध्यम के रूप में करना चाहती है और एक समझ पैदा करता है कि फिल्मों में अधिक मनोरंजन की प्रस्तुति की जाये। समिति विद्यार्थियों को इस तथ्य के प्रति संवेदनशील बनाता है कि फिल्में हमारे जीवन स्तम्भ का दर्पण और सामाजिक परिवर्तन की अभिकर्ता दोनों हो सकती हैं।

5. फोटोग्राफी समिति (तस्वीर)

सत्यवती महाविद्यालय की तस्वीर समिति फोटोग्राफी की कला और विज्ञान के बारे में ज्ञान साझा करने का एक मंच है। समिति कार्यशालाओं, सेमिनारों, घटना कवरेज और फोटो वॉक के रूप में रचना पर प्रकाश और सुझाव प्रदान करता है। प्रत्येक वर्ष समिति ऐसी गतिविधियों का आयोजन करता है जो विद्यार्थियों को फोटोग्राफी सीखने तथा अपने कैमरे का पूरा उपयोग करने का मौका देते हैं और दुनिया के प्रति संवेदनशील बनाने का मौका मिलता है। समिति फोटोग्राफी में सीख को बढ़ाने और यादों को कैद करने के लिए एक वातावरण बनाने के अलावा विशेषज्ञों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत पर "ध्यान केंद्रित" करता है। समिति का अपना स्टूडियो और डीएसएलआर कैमरा है जो विद्यार्थियों को फोटोग्राफी की कला सीखने में मदद करता है।



6. करियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट के लिए 'सक्षम' समिति

यह समिति विद्यार्थियों को महाविद्यालय के बाद उनके पेशेवर जीवन के लिए तैयार करती है। विद्यार्थी प्रतिष्ठित लोगों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं, व्याख्यानों के माध्यम से कौशल प्राप्त करते हैं। समिति दिल्ली विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल के साथ समन्वय करती है और पंजीकरण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सहायता करती है। शैक्षणिक वर्ष में, समिति ने कैपस प्लेसमेंट के लिए वित्त, बैंकिंग और स्वास्थ्य प्रबंधन कंपनियों को महाविद्यालय में आमंत्रित किया। नियुक्ति के लिए कई विद्यार्थियों का चयन किया गया था।

7. विदेशी विद्यार्थियों की सलाहकार समिति

विदेशी विद्यार्थी सलाहकार समिति अन्य देशों के विद्यार्थियों की गतिविधियों, समस्याओं और कठिनाइयों, यदि कोई हो, की देखरेख करती है। समिति महाविद्यालय की गतिविधियों में विदेशी विद्यार्थियों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि वे अपने नए परिवेश में घर जैसा महसूस करें।

8. अनुसूचित जाति/ जनजाति समिति

समिति का उद्देश्य आरक्षित श्रेणियों के तहत महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को सशक्त बनाना है। यह इन विद्यार्थियों के लिए व्यक्तित्व विकास, कंप्यूटर कौशल प्राप्त करने और संचार कौशल विकसित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करता है। उन विद्यार्थियों के लाभ के लिए उपचारात्मक कक्षाएं आयोजित की जाती हैं जिन्हें पाठ्यक्रम का सामना करना मुश्किल लगता है।

9. द नॉर्थ ईस्ट समिति (उत्तर-पूर्व समिति)

नॉर्थ ईस्ट समिति का उद्देश्य महाविद्यालय में नॉर्थ ईस्ट (पूर्वोत्तर) के विद्यार्थियों के लिए एक स्वागत योग्य वातावरण बनाना है। यह उन्हें पूरी तरह से महाविद्यालय जीवन में भाग लेने में सक्षम बनाना चाहता है। समिति एक वार्षिक नॉर्थ ईस्ट फेस्ट भी मनाती है जो पूर्वोत्तर की अनूठी संस्कृति का प्रदर्शन करती है। यह समिति पूर्वोत्तर के लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उजागर करने के लिए व्याख्यान, फिल्मों और वृत्तचित्रों जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है।

10. 'उज्ज्वला' - महाविद्यालय पत्रिका

महाविद्यालय सालाना एक पत्रिका प्रकाशित करता है जिसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा कविताएं, कहानियां और निबंध होते हैं। महाविद्यालय पत्रिका विद्यार्थियों को खुद को रचनात्मक रूप से अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। 'उज्ज्वला' नामक यह पत्रिका बहुभाषी है जो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू में प्रकाशित होती है।

11. यौन उत्पीड़न के खिलाफ आंतरिक शिकायत समिति

यह महाविद्यालय के परिसर में सभी प्रकार के यौन उत्पीड़न से सम्बंधित समिति है।

12. परिवार परामर्श केंद्र

परिवार परामर्श केंद्र लिंग जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से वर्ष भर गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला आयोजित करता है। केंद्र का अपना एक पुस्तकालय है जिसमें लिंग से संबंधित मुद्दों पर पुस्तकों, पुस्तिकाओं और फिल्मों का एक समृद्ध संग्रह है। यह केंद्र विद्यार्थियों को परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है।

13. समान अवसर प्रकोष्ठ

समान अवसर प्रकोष्ठ दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और करियर के अवसरों तक समान पहुंच की गुणवत्ता की सुविधा के लिए बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसने अधिकांश पीडब्ल्यूडी विद्यार्थियों को लैपटॉप (वीएच विद्यार्थियों के लिए विशेष सॉफ्टवेयर के साथ) प्रदान किया है। समान अवसर सेल ने हमारे वीएच विद्यार्थियों को 26 डेज़ी प्लेयर भी प्रदान किए हैं और पुराने आईपॉड की मरम्मत की है। विद्यार्थियों के मुद्दों को हल करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

14. राष्ट्रीय कैडेट कोर

महाविद्यालय की एनसीसी इकाई सेना और नौसेना विंग में कैडेट के रूप में लड़कों और लड़कियों को प्रशिक्षित करती है। हमारे कैडेटों को गणतंत्र दिवस परेड और विशेष राष्ट्रीय शिविरों में भाग लेने का सम्मान मिला है। एनसीसी में विद्यार्थियों को जो कठोर प्रशिक्षण मिलता है, उन्हें मन और शरीर के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।

15. राष्ट्रीय सेवा योजना

महाविद्यालय में एनएसएस से जुड़े विद्यार्थी स्वयंसेवकों का एक सक्रिय समूह है। एनएसएस स्वयंसेवक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए पठन सत्र आयोजित करते हैं। उनकी गतिविधियों में आस-पास की झुग्गी आबादी के साथ काम करना, रक्तदान शिविरों का आयोजन और भाग लेना, रेड रिबन क्लब, महाविद्यालय परिसर में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाना शामिल है। एनएसएस हर साल एक वार्षिक समारोह "सरोकार" आयोजित करता है।

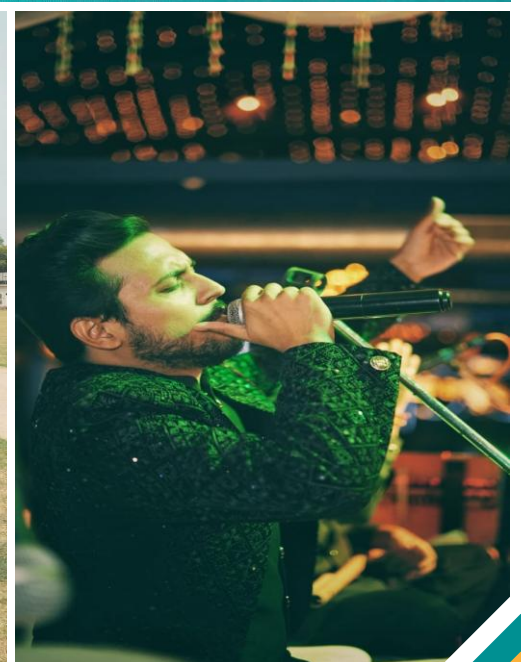
16. विद्यार्थी संघ

सत्यवती महाविद्यालय में एक विद्यार्थी संघ है जो प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों द्वारा चुना जाता है। हालांकि, प्रथम वर्ष का विद्यार्थी केवल केंद्रीय पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, संघ के बाकी पद केवल दूसरे और तीसरे वर्ष के विद्यार्थियों के लिए खुले हैं।

17. पूर्व विद्यार्थी समिति

सत्यवती पूर्व विद्यार्थी समिति पिछले तीन वर्षों से बहुत सक्रिय रूप से काम कर रही है। महाविद्यालय सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके अपने पुराने विद्यार्थियों का डेटा एकत्र करने की कोशिश कर रहा है। पूर्व विद्यार्थी बैठक का आयोजन महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी समिति द्वारा किया जाता है। पूर्व विद्यार्थियों की सूची को अद्यतन करने में सुविधा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है।

इन समितियों के साथ, जो सभी विद्यार्थियों के लिए खुली हैं, प्रत्येक विभाग की अपनी समिति है जो उस विशेष विभाग के विद्यार्थियों के लिए खुली है।







उद्धमोद्य फाउंडेशन (उद्यमिता प्रकोष्ठ)

उद्धमोद्य फाउंडेशन, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सामान्य रूप से और विशेष रूप से विद्यार्थियों के बीच नवाचार और उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। यह एक अनुभाग-8 कंपनी है, जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों/विभागों/केंद्रों में उद्यमशीलता की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके नवाचार और रचनात्मकता की संस्कृति को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुपालन में, सत्यवती महाविद्यालय ने एक उद्यमिता प्रकोष्ठ भी स्थापित किया है। यह ई-सेल एक स्थायी स्टार्टअप माहौल को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। उद्यमिता प्रकोष्ठ का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षण कर्मचारियों को शामिल करने के लिए महाविद्यालयों में उद्यमशीलता गतिविधियों को प्रोत्साहित करके नवाचार और रचनात्मकता की संस्कृति को सुविधाजनक बनाना भी है।

सीए प्रोफेसर आभा माथुर को 3/04/2023 को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया और उसी समय उद्यमिता प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। वह फाउंडेशन के सशक्तिकरण में लगातार काम कर रही हैं।



उन्नत भारत अभियान (यूबीए)

सत्यवती महाविद्यालय

समन्वयक: डॉ. नीलू अनीता तिग्गा

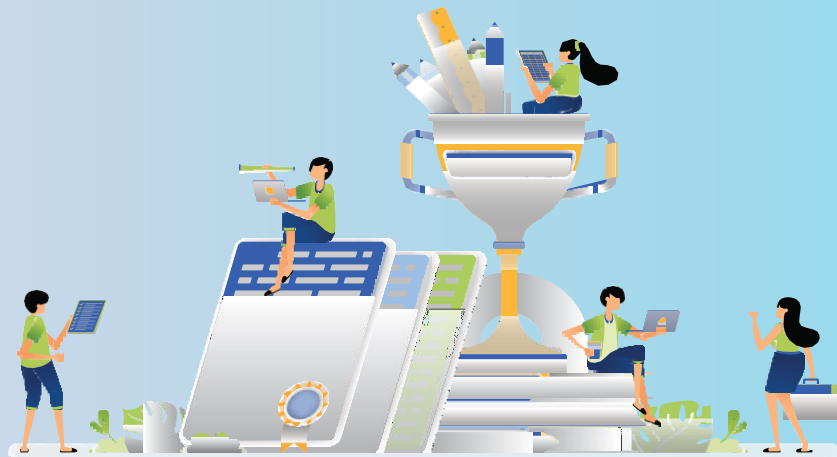
सत्यवती महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय ने 23 अप्रैल, 2022 को एक जागरूकता सृजन कार्यक्रम के माध्यम से उन्नत भारत अभियान (यूबीए) के संबंध में अपनी कार्य योजना शुरू की। टीम यूबीए का गठन प्रिंसिपल, प्रो निर्मल जिंदल ने डॉ. नीलू अनीता तिग्गा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग के संयोजक के तहत किया था। सत्यवती महाविद्यालय ने जिला प्रशासन के सहयोग से पांच गांवों को उनके विकास के लिए गोद लिया है। ये पांच गांव नाहरी, खुबरू, पिपली खेड़ा, राजलू और रसोई हैं।

कार्यशालाओं के आयोजन के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के संबंध में नियमित बैठकें आयोजित की गई थीं। विद्यार्थियों को उन्नत भारत अभियान के विजन और मिशन से परिचित कराया गया। गूगल फार्म के सृजन और प्रसार के संबंध में सदस्यों से सुझाव आमंत्रित किए गए। सर्वेक्षण को सरल बनाने के लिए आस-पास के या उसी ग्रामीण समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के विवरण की जांच की गई। इसके बाद, यूबीए साहित्य दिशानिर्देशों के अनुसार सर्वेक्षण करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया। चर्चाकारों को आने वाले महीनों में आवश्यक समय-सीमा, समीचीनता और संभावित कार्य योजना के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद विद्यार्थियों का साक्षात्कार लिया गया और कार्यशाला में भाग लेने और भविष्य के सर्वेक्षण प्रयासों में योगदान देने का कार्य सौंपा गया।





छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार



विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक निष्पादन और सह-पाठ्यचर्या क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर वित्तीय सहायता की अनेक विद्यार्थीवृत्तियां और स्कीमें प्रदान की जाती हैं।

1. **सुश्री आशा साहनी मेमोरियल पुरस्कार** उनके पति, श्री एस.सी. साहनी द्वारा स्थापित किया गया है, जो अंग्रेजी (ऑनर्स) के टॉपर को प्रदान किया जाता है। I, II & III वर्ष।
2. **स्वर्गीय गौरव नागपाल विद्यार्थीवृत्ति** उनके पिता श्री बलदेव राज नागपाल द्वारा स्थापित की गई है, जो B.Com I और II वर्ष (ऑनर्स) के टॉपर्स को प्रदान की जाती है।
3. **स्वर्गीय प्रोफेसर के.पी. माथुर मेमोरियल पुरस्कार** उनकी बेटी डॉ आभा माथुर द्वारा स्थापित किया जाता है, जो भारतीय अर्थशास्त्र के पेपर में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को प्रदान किया जाता है।
4. **श्रीमती भगवती माथुर मेमोरियल पुरस्कार** डॉ. आभा माथुर द्वारा स्थापित किया गया है, जो B.Com (ऑनर्स) के चौथे सेमेस्टर के टॉपर को प्रदान किया जाता है।
5. **स्वर्गीय सुश्री जसवंत कौर मेमोरियल पुरस्कार** उनकी बेटी द्वारा स्थापित किया गया था। डॉ. इंद्रजीत कौर पुरस्कार को 55% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली राजनीति विज्ञान (ऑनर्स) की SC/ST छात्रा को सम्मानित किया जाता है:
6. **स्वर्गीय श्री जी.एन.अग्रवाल मेमोरियल पुरस्कार** उनके पुत्र डॉ. एस.सी.अग्रवाल द्वारा स्थापित किया गया है, जो अर्थशास्त्र (ऑनर्स) I और II वर्ष के टॉपर (ऑनर्स) को प्रदान किया जाता है।
7. **डॉ. उषा अग्रवाल "तेजस्वनि विद्यार्थीवृत्ति"** उषा अग्रवाल द्वारा प्रायोजित B.Com (कार्यक्रम) तृतीय वर्ष के टॉपर्स को प्रदान की जाती है।
8. **सुल्तान चंद द्रोपदी देवी शिक्षा फाउंडेशन विद्यार्थीवृत्ति** सुल्तान चंद द्रोपदी द्वारा प्रायोजित

देवी मेमोरियल स्कॉलरशिप एंडोमेंट B.Com (ऑनर्स) तृतीय वर्ष के टॉपर्स को प्रदान किया जाता है।

9. **स्वर्गीय श्रीमती गणेशी देवी स्मृति पुरस्कार** उनके पोते डॉ. जी. डी. गुलाटी द्वारा स्थापित किया गया है, जो इतिहास (ऑनर्स) द्वितीय वर्ष के टॉपर को प्रदान किया जाता है।
10. श्री कांति मोहन शर्मा द्वारा प्रायोजित **स्वर्गीय सुश्री क्रांति मेमोरियल पुरस्कार** B.Sc (ऑनर्स) गणित, मैं प्रथम वर्ष के टॉपर को प्रदान की जाती है।
11. डॉ. सरोज गुप्ता द्वारा प्रायोजित **ए.डी. मेमोरियल पुरस्कार** संस्कृत (ऑनर्स) I और II वर्ष के टॉपर्स को प्रदान किया जाता है।
12. **स्वर्गीय श्री जिया लाल मेमोरियल पुरस्कार** डॉ पूनम सिंह द्वारा स्थापित अंग्रेजी (एच) प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के अनुसूचित जाति को प्रदान किया गया।
13. श्री पी. के. गोएला द्वारा स्थापित **चंदर कला मेमोरियल पुरस्कार** अंग्रेजी (ऑनर्स) के तीसरे वर्ष के टॉपर को प्रदान किया गया।
14. **प्रकाश वाटी मेमोरियल पुरस्कार** श्री पी. के. गोएला द्वारा स्थापित B.Com (ऑनर्स) तीसरे वर्ष के टॉपर को प्रदान किया गया।
15. श्री पी. के. गोयल द्वारा स्थापित **सुरेखा गोएला मेमोरियल पुरस्कार** अर्थशास्त्र (ऑनर्स) के टॉपर को तीसरे वर्ष से सम्मानित किया गया।
16. डॉ. आभा माथुर द्वारा प्रायोजित **गुरु संत राज आराधेय मेमोरियल पुरस्कार** "सेल्फ-मैनेजमेंट गीता" के पेपर में टॉपर को प्रदान किया जाता है।
17. **अजीत और एमए जावेद मेमोरियल मेरिट पुरस्कार** डॉ. एमए जावेद द्वारा प्रायोजित राजनीति विज्ञान (ऑनर्स) के टॉपर तीसरे वर्ष (1 लड़का और 1 लड़की) को प्रदान किया जाता है।



18. **प्रो बृजलाल मेमोरियल अवार्ड और सुश्री सुदेश कुमारी मेमोरियल अवार्ड** प्रोफेसर निर्मल जिंदल द्वारा प्रायोजित प्रथम वर्ष के दृष्टिबाधित मेधावी छात्राओं को प्रदान किया जाता है।
19. **श्रीमती ब्रह्मादेवी विद्यार्थीवृत्ति** प्रो रचना बिमल द्वारा प्रायोजित किया गया है, हिंदी (ऑनर्स) प्रथम वर्ष के टॉपर को प्रदान किया जाता है।
20. **श्रीमती भगवती देवी स्मृति पुरस्कार** प्रो. रचना बिमल द्वारा प्रायोजित किया जाता है।
21. प्रो. रचना बिमल द्वारा प्रायोजित **(स्वर्गीय) प्रो. सुरेश गौतम मेमोरियल पुरस्कार**, हिंदी (ऑनर्स) के टॉपर को तृतीय वर्ष।
22. प्रोफेसर सीए आभा माथुर द्वारा स्थापित **गुरु संत संत राज आराधय मेमोरियल पुरस्कार** संस्कृत (ऑनर्स) के तीसरे वर्ष के टॉपर को सम्मानित किया गया।

वित्तीय सहायता

1. जरूरतमंद और योग्य विद्यार्थियों को फ़ीस में पूर्ण और आधा शुल्क रियायतें दी जाती हैं। शुल्क रियायत के लिए आवेदन महाविद्यालय लेखा कार्यालय में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्रों पर जमा किए जाने पर होता है।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार द्वारा मैट्रिकोत्तर विद्यार्थीवृत्ति प्रदान की जाती है। विवरण के लिए महाविद्यालय की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समिति से संपर्क करें।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी से संबंधित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विद्यार्थीवृत्ति प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के फरवरी तक अपना विद्यार्थीवृत्ति फॉर्म जमा करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए, महाविद्यालय के कक्ष नंबर 1 में संपर्क करें।
4. महाविद्यालय विद्यार्थी सहायता कोष से योग्य और जरूरतमंद विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

वित्तीय सहायता के लिए सामान्य नियम

1. शुल्क रियायत अच्छे आचरण, नियमित उपस्थिति और अध्ययन में संतोषजनक प्रगति और महाविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन है। यदि कोई विद्यार्थी उपरोक्त स्थितियों में से किसी में भी दोषी पाया जाता है तो इसे किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।
2. शुल्क रियायत का लाभ उठाने वाले विद्यार्थी यदि वे अगली उच्च कक्षा में पदोन्नत होने में विफल रहते हैं। तो उनसे शुल्क जब्त किया जा सकता है।
3. विद्यार्थियों को फीस में रियायत मिलने तक पूरी फीस का भुगतान करना होगा।
4. दिल्ली सरकार, दिल्ली विश्वविद्यालय, या अन्य एजेंसियों द्वारा दी गई विद्यार्थीवृत्ति का विवरण, महाविद्यालय में योजनाओं की प्राप्ति पर समय-समय पर महाविद्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है।

बाहरी प्रवासन

कर्मचारी परिषद के निर्णय के अनुसार, महाविद्यालय आउटवर्ड माइग्रेशन की अनुमति नहीं देता है।

धूम्रपान मुक्त क्षेत्र

दिल्ली विश्वविद्यालय तंबाकू मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने में दिल्ली पुलिस और वर्ल्ड लंग फाउंडेशन (दक्षिण एशिया) के साथ साझेदारी कर रहा है। उस दिशा में एक कदम के रूप में, हमारे महाविद्यालय में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।



महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी



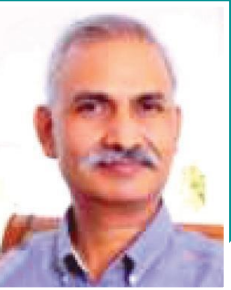
धनंजय जोशी

बी.ए. (राजनीति. विज्ञान)
(1992-1995) कुलपति,
दिल्ली प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय



राहुल मलिक

बी.ए.
अर्थशास्त्र
(ऑनर्स)
(2003-2006)
उप सचिव, गृह मंत्रालय



अवधेश मिश्रा

बी. कॉम (प्रोग्राम)
(1986-1989)
कुलाधिपति, नॉर्थकैप
विश्वविद्यालय, गुरुग्राम



विनोद कुमार

बीए (प्रोग्राम) 1987-1990
भारतीय सेना में कर्नल



श्री शिव चरण गर्ग

राजनीति विज्ञान (ऑनर्स)
2012
अधिवक्ता, उच्च न्यायालय



जगदीश कुमार, आईईएस

बीए (ऑनर्स)
अर्थशास्त्र
(2003-2006)
उप निदेशक, वाणिज्य और
उद्योग मंत्रालय



सागर बगमार

बी.कॉम (प्रोग्राम) (2010-
2013) भारतीय पुलिस
सेवा (आईपीएस) 2017
बैच भारत सरकार



सनी के सौरव

अर्थशास्त्र (ऑनर्स) 2009-2012
वरिष्ठ उप समाहर्ता



प्रमोद नारंग

बी.कॉम (ऑनर्स) (1977-
1980) सी.ए., इंस्टीट्यूट
ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट
ऑफ इंडिया वर्तमान में
राइट्स लिमिटेड में
महाप्रबंधक (वित्त)



कुमार आनंद

अर्थशास्त्र (ऑनर्स) (2003-2006)
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी
(एनआईपीएफपी) के साथ
काम किया। वर्तमान में
कुमार मुंबई में अनुसंधान
टीम का नेतृत्व करते हैं

**रिया**

अंग्रेजी (ऑनर्स) (2019)
सहायक प्रोफेसर
गार्गी महाविद्यालय
(2022 से)

**रवि कुमार गुप्ता**

अर्थशास्त्र (ऑनर्स) (2012-2015)
विशेष धोखाधड़ी विश्लेषक,
सीआईटीआई, न्यूयॉर्क,
यूएसए.

**मोहित खंडेलवाल**

अर्थशास्त्र (ऑनर्स) 2001
2004 निदेशक किर्नी,
ऑस्ट्रेलिया

**शिव दत्त शर्मा**

बीए प्रोग्राम (1990)
अध्यक्ष विवेकानंद
महाविद्यालय ऑफ
एजुकेशन

**परनिधि साहनी**

अर्थशास्त्र (ऑनर्स)
2012-2015 विकास
अर्थशास्त्री,
विश्व बैंक सलाहकार

**निंगोबम विक्टोरिया चानू**

अंग्रेजी ऑनर्स (2000) सहायक
प्रोफेसर (अंग्रेजी विभाग) डॉ.
भीम राव अम्बेडकर
महाविद्यालय, दिल्ली
विश्वविद्यालय

**दिव्या पांडे**

अंग्रेजी (ऑनर्स)
(2008-2011)
अंग्रेजी के सहायक
प्रोफेसर, विभाग,
हंसराज
महाविद्यालय,
दिल्ली
विश्वविद्यालय

**रामकरण सिंह**

बीए प्रोग्राम
(2008-2011)
एथलेटिक्स में अर्जुन
पुरस्कार 2012 और
राजीव गांधी राज्य राष्ट्रीय
पुरस्कार 2014 प्राप्त
किया



लेफ्टिनेंट अमित मिश्रा
भारतीय सेना में कमीशन
अधिकारी
बी.एस सी (ऑनर्स) गणित
(2016-2019)



डॉ. राजेश कुमार
एसोसिएट प्रोफेसर
बिट्स पिलानी में,
बी.एस सी (ऑनर्स) गणित
(2000-2003)



निकिता दुरेजा
बी.कॉम. ऑनर्स (2015-2018)
सहायक प्रोफेसर
(वाणिज्य विभाग),
सत्यवती महाविद्यालय,
दिल्ली विश्वविद्यालय

खेल, ईसीए और वार्ड का प्रवेश



खेल के आधार पर प्रवेश

सभी पाठ्यक्रमों में 4% सीटें खेल के लिए आरक्षित हैं और विश्वविद्यालय के मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा। इस वर्ष महाविद्यालय को निम्नलिखित खेलों में उम्मीदवारों की आवश्यकता है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

क्रमांक	खेल	पुरुष	महिला
1	बैडमिंटन	2	0
2	मुक्केबाज़ी	2	1
3.	क्रिकेट	4	0
4.	जिम्नास्टिक	2	0
5.	जूडो	2	2
6.	कबड्डी	4	2
7.	खो-खो	4	2
8.	वॉलीबॉल	4	2
9.	कुश्ती	2	2
10.	फुटबॉल	4	0
11.	टेबल टेनिस	2	1
12.	गोलीबारी	1	1
13.	तलवारबाजी	2	0
14.	तीरंदाज़ी	2	0

Admission on thB

ईसीए के अधर पर प्रवेश

- 1% सीटें पाठ्येतर गतिविधियों के तहत आरक्षित हैं।
- ईसीए प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के आधार पर चयन किया जाएगा।
- प्रवेश निम्नलिखित के अनुसार ईसीए श्रेणी में होगा:

क्र.सं.	श्रेणी	उप श्रेणी क्रम सं.	उप-श्रेणी	प्रस्तावित सीटें
1.	रचनात्मक लेखन	1a	रचनात्मक लेखन (हिंदी)	1
2.	नृत्य	2a	भारतीय शास्त्रीय	1
		2c	पश्चिमी	1

3	वाद-विवाद	3a	वाद-विवाद (हिंदी)	1
		3b	वाद-विवाद (अंग्रेज़ी)	1
4	डिजिटल मीडिया	4b	फिल्म निर्माण	1
6	संगीत (स्वर/गायन)	6a	भारतीय संगीत (स्वर/गायन)	1
		6b	पाश्चात्य संगीत (स्वर/गायन)	1
9	रंगमंच	9	नाटक	2
12	एनसीसी (लड़के और लड़कियां दोनों)	12	एनसीसी (लड़के और लड़कियां दोनों)	1
13	राष्ट्रीय सेवा योजना	13	राष्ट्रीय सेवा योजना	1
14	योग	14		1
			कुल जारी सीटें	16

वार्ड कोटा

विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालय के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बच्चों का प्रवेश, अकादमिक परिषद के संकल्प 9 ए और बी दिनांक 27.11.2020 और उसके बाद के संशोधनों/अधिसूचनाओं के अनुसार किया जाएगा। उम्मीदवार को देय अधिकारियों द्वारा जारी एक वैध रोजगार प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। प्रमाण पत्र में माता-पिता के रोजगार की स्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। केवल CSAS (UG)-2025 आवेदन पत्र के समय अपलोड किए गए प्रमाणपत्र पर विचार किया जाएगा। आई-कार्ड, आधार कार्ड या कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।



अनुशासन और उपस्थिति नियम

1. विद्यार्थी को अपने आचरण के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य के प्रति जवाब देह होना होगा और अनुशासन या हस्तक्षेप का उल्लंघन हो सकता है। एक विद्यार्थी अनुशासन के किसी भी नियम का उल्लंघन करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा। अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में चेतावनी, और/ या जुर्माना और/या कक्षा से निलंबन, परीक्षा से, महाविद्यालय से या अध्यादेश XV-B और इसके तहत बनाए गए अनुशासन के नियमों में प्रदान की गई ऐसी कोई भी कार्यवाही की जा सकती है। उसके आचरण की जांच लंबित रहने तक, अधिकारियों को महाविद्यालय से विद्यार्थी को निलंबित करने का अधिकार है।
2. विद्यार्थियों को महाविद्यालय की संपत्ति की उचित देखभाल करनी चाहिए और फर्नीचर और फिटिंग को खराब नहीं करना चाहिए या कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
3. विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुशासनहीनता के कृत्यों में लिप्त विद्यार्थियों के नाम महाविद्यालय की सूची से काटा जा सकते हैं।
4. रैगिंग किसी भी रूप में प्रतिबंधित है। यदि कोई विद्यार्थी इसमें लिप्त पाया जाता है तो वह घोर अनुशासनहीनता का दोषी होगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार उसके खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। छेड़खानी या यौन उत्पीड़न में लिप्त पाए गए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अध्यादेश XV-B, XV-C और XV-D के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
5. व्याख्यान और ट्यूटोरियल में उपस्थिति के मामले में, महाविद्यालय के विद्यार्थियों को दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों द्वारा शासित किया जाता है, जिसमें डीयू ईसी संकल्प संख्या 138 दिनांक 05-06-1975 शामिल हैं। कोई भी विद्यार्थी अगली उच्च कक्षा में पदोन्नति या विश्वविद्यालय परीक्षा देने के लिए पात्र नहीं है जब तक कि उसने अलग-अलग आयोजित व्याख्यानों, ट्यूटोरियल और प्रयोग(प्राैक्टिकल) के दो-तिहाई में भाग नहीं लिया हो। स्टाफ काउंसिल की 370 वीं बैठक के निर्णय के अनुसार, प्रथम वर्ष (2019-20) में नामांकित विद्यार्थियों को सेमेस्टर परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए प्रत्येक सेमेस्टर में न्यूनतम सडसठ प्रतिशत (67%) उपस्थिति होनी चाहिए, जिसमें विफल होने पर उन्हें उक्त परीक्षा में उपस्थित होने से रोक दिया जाएगा।
6. बीमारी के कारण अनुपस्थिति की छुट्टी के लिए सभी आवेदन एक चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होने चाहिए और विद्यार्थी की बीमारी के बाद महाविद्यालय लौटने के एक सप्ताह के भीतर प्राचार्य तक पहुंचना चाहिए। चिकित्सा आधार पर उपस्थिति का लाभ देने में इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा।
7. कक्षाओं के पास के क्षेत्रों को साइलेंस जोन के रूप में चिह्नित किया गया है। इसलिए, विद्यार्थियों को इस क्षेत्र में घूमने/शोर न करने की सलाह देते हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपनी खाली अवधि का उपयोग रचनात्मक गतिविधियों जैसे पुस्तकालय जाना, खेल खेलना आदि के लिए करें।
8. प्रवेश के समय प्रत्येक विद्यार्थी को एक पहचान पत्र जारी किया जाता है। एक विद्यार्थी को महाविद्यालय गेट पर अपना पहचान पत्र दिखाए बिना महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। एक विद्यार्थी को महाविद्यालय परिसर में रहते हुए अपना पहचान पत्र ले जाना चाहिए। डुप्लीकेट पहचान पत्र 100/- रुपये के भुगतान पर जारी किया जाएगा बशर्ते कि महाविद्यालय के अधिकारियों को नुकसान की सूचना दी जाये।
9. प्रथम वर्ष के विद्यार्थी डूसू पार्षद पद के अलावा महाविद्यालय विद्यार्थीसंघ का चुनाव नहीं लड़ सकते।
10. सभी जानकारी विद्यार्थी सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित की जाती है। इसलिए, विद्यार्थियों को नियमित रूप से नोटिस पढ़ने की सलाह दी जाती है। सभी जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी पोस्ट की जाती है और विद्यार्थियों को अपडेट रहने की सलाह दी जाती है। किसी भी नोटिस की अनभिज्ञता को किसी भी मामले में किसी भी देरी के लिए एक दलील या बहाने के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
11. पुस्तकालय के पास भूतल पर सुझाव पेटी दी गई है। विद्यार्थियों को इसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
12. विद्यार्थियों को महाविद्यालय में आगंतुकों को रिसीव करने की अनुमति नहीं है। यदि ऐसी मुलाकातें आवश्यक हैं, तो प्रिंसिपल की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
13. गृहनगर की यात्रा के लिए यात्रा रियायत सुविधा विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। उन्हें कमरा नंबर 1 में प्रशासनिक कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।
14. महाविद्यालय में बस पास सत्यापन केंद्र है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, विद्यार्थी सभी कार्य दिवसों में सुबह 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे के दौरान संबंधित कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं।
15. यदि कोई विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर के भीतर अनुशासनहीनता अथवा दुर्व्यवहार के किसी कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो महाविद्यालय निष्कासन सहित उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार रखता है।



परीक्षा नियम

विश्वविद्यालय परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्देश।

1. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा (परीक्षाओं) के समय परीक्षा अधीक्षक को अपना "प्रवेश टिकट" दिखाना होगा और परीक्षा के दौरान किसी भी समय उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।
2. उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय के प्रासंगिक अध्यादेशों और विनियमों में निर्धारित शर्तों के तहत परीक्षा में प्रवेश दिया जाता है।
3. उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में पुस्तक, किसी भी सामग्री पर लिखे नोट्स, गैर-प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर (परीक्षाओं को छोड़कर जहां इसके उपयोग की अनुमति दी गई है), इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (जैसे मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लू टूथ, माइक्रो-स्कैनर, माइक्रो-फोन, माइक्रो-कैमरा, माइक्रो-स्पीकर, मेमोरी आधारित मॉड्यूल, वाई-फाई सक्षम मॉड्यूल, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, आदि) सहित किसी भी अनधिकृत सामग्री को परीक्षा हॉल में ले जाने की अनुमति नहीं है। इन्हें अनधिकृत सामग्री के रूप में माना जाएगा।
4. उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। उम्मीदवार को परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे के बाद परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा के पूरा होने के आधे घंटे से पहले परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. परीक्षा अधीक्षक, निरीक्षण स्टाफ और आगंतुक दल के सदस्य परीक्षा के दौरान किसी भी समय या परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले उम्मीदवारों की शारीरिक तलाशी करने के लिए स्वतंत्र हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास कोई अनधिकृत सामग्री नहीं है।
7. विश्वविद्यालय परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग और/या अव्यवस्थित आचरण का सहारा लेने के लिए बुक किए गए उम्मीदवारों के मामलों पर विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रवेश शुल्क विवरण (स्नातक/ स्नातकोत्तर) 2025-26



शुल्क प्रमुख	राशि (₹)
महाविद्यालय सुविधाएं और सेवा शुल्क	
पानी और बिजली शुल्क **	1000
कंप्यूटर लैब फंड**	700
स्वच्छता और रखरखाव और सुविधा सुविधा**	2500
उद्यान शुल्क**	150
खेल शुल्क	500
कॉमन रूम फीस	30
महाविद्यालय विद्यार्थी कल्याण कोष **	
समान अवसर प्रकोष्ठ	35
एनएसएस शुल्क	26
वाचनालय शुल्क	65
विद्यार्थी सहायता कोष	500
महाविद्यालय समिति शुल्क	501
वाद-विवाद समिति शुल्क	20
ड्रामेटिक समिति फीस	39
एनसीसी	91
फोटोग्राफी समिति	39
बुक्स शुल्क	7
कैरियर और प्लेसमेंट सेल	33
आईसीसी	13
महाविद्यालय पत्रिका शुल्क	78



शुल्क प्रमुख	राशि (₹)
परिचय पत्र	100
पुस्तकालय शुल्क	325
मुद्रण और आंतरिक परीक्षा	130
फिल्म समिति	13
महाविद्यालय विकास निधि**	
सभागार शुल्क	700
अन्य महाविद्यालय प्रमुख	
प्रवेश शुल्क	10
ट्यूशन शुल्क	180
एलुमनी एसोसिएशन**	200
वार्षिक दिवस और विद्यार्थी चुनाव	100
सत्यवती मेमोरियल लेक्चर शुल्क	20
विद्यार्थी संघ शुल्क	150
विद्यार्थियों को वापसी योग्य शुल्क	
कॉशन मनी (रिफंडेबल)	125
पुस्तकालय सुरक्षा (वापसी योग्य)	125
दिल्ली विश्वविद्यालय को देय शुल्क	
यूनिवर्सिटी एथलेटिक एसोसिएशन	50
विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	250
सांस्कृतिक गतिविधियाँ	30
सांस्कृतिक परिषद शुल्क	10
विश्वविद्यालय विकास निधि*	1200
विश्वविद्यालय सुविधाएं और सेवा शुल्क*	1250
विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण कोष*	250
विश्वविद्यालय संघ शुल्क*	40
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहायता विश्वविद्यालय निधि*	200
कुल	16185

* परिवर्तन के अधीन

































PREScribed CERTIFICATE FORMATS

PREScribed FORMAT OF SCHEDULED CASTES(SC) AND SCHEDULED TRIBES(ST) CERTIFICATE

Students on exit shall be awarded Bachelor of (in the Field of Study/Discipline) (Honours with Research/Academic Projects/ Entrepreneurship) or (Honours with Research in Discipline-1 (Major) with Discipline-2 (Minor) after securing the requisite 176 credits on completion of Semester VIII

1. This is to certify that Shri/ Shrimati/ Kumari* _____ son/daughter of _____ of Village/Town* _____ District/Division* of State/

Union Territory* _____ belongs to the Scheduled Caste/ Scheduled Tribe* under:

- * The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
- * The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
- * The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951
- * The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951

[As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification Order) 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002]

- * The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956;
- * The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976;
- * The Constitution (Dadara and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962; * The Constitution (Dadara and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962;
- * The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964; * The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967;
- * The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968; * The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968; * The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970;
- * The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978;
- * The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978;
- * The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989;
- * The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 1990;
- * The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 1991;
- * The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Act, 1991.

2. # This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes / Scheduled Tribes* Certificate issued to Shri/Shrimati* _____ father/mother* _____ of Shri /Shrimati /Kumari* _____ of Village/Town* _____ in District/Division* _____ of the State/Union Territory* _____ who belongs to the Caste/Tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in the State/Union Territory* issued by the _____ dated _____

3. Shri/ Shrimati/ Kumari* _____ and/or* his/her* family ordinarily reside(s)** in Village/ Town* _____ of _____ District/Division* of the State Union Territory* of _____

Place: _____

Date: _____

Signature: _____

Designation: _____

(With seal of the Office)

State/Union Territory* _____

* Please delete the word(s) which are not applicable.

Applicable in the case of SC/ST Persons who have migrated from another State/UT.

IMPORTANT NOTES

The term "ordinarily reside(s)***" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950. Officers competent to issue Caste/Tribe certificates:

1. District Magistrate/ Additional District Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/ Ist Class Stipendiary Magistrate/ City Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner.
2. Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.
3. Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
4. Sub-divisional Officer of the area where the candidate and/ or his family normally reside(s).
5. Administrator/Secretary to Administrator / Development Officer (Lakshadweep Island).

PREScribed FORMAT OF OBC-NCL CERTIFICATE

This is to certify that Shri/ Smt./ Kum* _____ Son/ Daughter*
of Shri/ Smt.* _____ of Village/Town* _____ District/
Division* _____ In the _____ State belongs to the _____

community which is recognized as a backward class under:

- (i) Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10/09/93 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 186 dated 13/09/93.
- (ii) Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 163 dated 20/10/94.
- (iii) Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24/05/95 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 88 dated 25/05/95.
- (iv) Resolution No. 12011/196/94-BCC dated 9/03/96.
- (v) Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6/12/96 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section 1 No. 210 dated 11/12/96.
- (vi) Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 03/12/97.
- (vii) Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11/12/97.
- (viii) Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27/10/99.
- (ix) Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 6/12/99 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section 1 No. 270 dated 06/12/99.
- (x) Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 04/04/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 71 dated 04/04/2000.
- (xi) Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21/09/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 21/09/2000.
- (xii) Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 06/09/2001.
- (xiii) Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19/06/2003.
- (xiv) Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13/01/2004.
- (xv) Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16/01/2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 16/01/2006.
- (xvi) Resolution No. 12011/14/2004-BCC dated 12/03/2007 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 67' dated 12/03/2007.
- (xvii) Resolution No. 12015/2/2007-BCC dated 18/08/2010.
- (xviii) Resolution No. 12015/13/2010-BCC dated 08/12/2011.

Shri/ Smt./ Kum. and/ or his family ordinarily reside(s) in the District/Division of State. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training G.M. No. 36012122/93-Estt.(SCT) dated 08/09/93 which is modified vide OM No. 36033/3/2004 Estt.(Res.) dated 09/03/2004, further modified vide OM No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 14/10/2008 or the latest notification of the Government of India.

Dated:

District Magistrate
Deputy Commissioner/
Any other Competent Authority

Seal

* Visit <http://www.ncbc.nic.in> for latest guidelines and updates on the Central List of State-wise OBCs.

** Please delete the word(s) which are not applicable.

*** As listed in the Annexure (for FORM-OBC-NCL)

**** The authority issuing the certificate needs to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

NOTE:

a. The term 'Ordinarily resides' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

b. The authorities competent to issue Caste Certificates are indicated below:

- (i) District Magistrate/ Additional Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/ 1st Class Stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar' and
- (iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides

PREScribed FORMAT OF ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS CERTIFICATE

Government of
(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No.

Dated.

Valid for the year

1. This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter/wife of permanent resident of _____ Village/Street _____ Post Office District in the State/Union Territory Pin Code whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her "family"* is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year 2021-2025. His/her family does not own or possess any of the following assets***:
 - I. 5 acres of agricultural land and above;
 - II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
 - III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
 - IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.
2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the _____ caste which is not recognized as a Schedule Caste, Schedule Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Signature with seal of Officer

Designation

Recent Passport
size attested
photograph of
the applicant

The income and assets of the families as mentioned would be required to be certified by an officer not below the rank of Tehsildar in the States/UTs.

* Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agricultural, business, profession, etc.

** Note 2: The term "Family" for this purpose includes the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note3: The property(ies) held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.



PREScribed FORMAT OF PERSONS WITH BENCHMARK DISABILITIES CERTIFICATE

FORM-II Disability Certificate

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs and in cases of blindness)
(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

Prescribed format
of persons with
benchmark
disabilities
certificate

Certificate No.

Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____
son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age _____ years,
male/female _____ Registration No. _____ permanent resident of
House No. _____ Ward/Village/ Street _____ Post Office _____
District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am
satisfied that:

- He/she is a case of:
 - locomotor disability
 - blindness(Please tick as applicable)
- The diagnosis in his/her case is _____
- He/ She has _____ % (in figure) _____ per cent (in words) permanent physical impairment/blindness in relation to his/her _____ (part of body) as per guidelines (to be specified).
- The applicant has submitted the following document as proof of residence: -

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

(Signature and Seat of Authorised Signatory of notified Medical Authority)

(Signature/Thumb impression of the person in whose favour the disability certificate is issued.)